राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र-IV का दिनांक 22 सितम्बर, 2018 को माननीय अध्यक्ष लोक सभा, श्रीमती सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में पूर्वाह्न 10.35 बजे आयोजित हुए सम्मेलन एवं कार्यशाला की कार्यवाही।

*****

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा : इससे पूर्व कि राष्ट्र-मण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र ।V के सम्मेलन एवं माननीय विधान सभा अध्यक्षों के सम्मेलन और विधायकों की कार्यशाला का शुभारम्भ किया जाए, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रगान के लिए सभा-मण्डप में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

मेरा मीडिया के साथियों से, फोटोग्राफर्ज़ और विडियो वालों से आग्रह है कि वे कृपया सदन छोड़ दें। जैसा पूर्व में निर्धारित है केवल लोक सभा एवं लोक सम्पर्क विभाग के दो ही कैमरे यहां रहेंगे।

<u>राष्ट्र-मण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र ।V के सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सम्बोधन</u>

डॉ 0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0प्र0 विधान सभा : आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्र-मण्डल संसदीय क्षेत्र-IV के सम्मेलन की मेज़बानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर लोक सभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। वे यहां पर होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन व कार्यशाला का मार्गदर्शन भी करेंगी। इसके लिए हम ताई जी का कोटिशः आभार व्यक्त करते हैं।

हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि कॉमनवैल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रिजन-4 के सम्मेलन में विशेष रूप से पधारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी आज इस सी0पी0ए0 कान्फ्रेंस के साक्षी बन रहे हैं व इसमें होने वाली चर्चा में भाग लेंगे । माननीय नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा श्री मुकेश अग्निहोत्री जी,

गुजरात के माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सूर्यप्रसाद त्रिवेदी जी, हरियाणा के माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री कंवर पॉल जी, जम्मू व कश्मीर के माननीय विधान सभा अध्यक्ष एवं पूर्व में उप-मुख्य मंत्री रहे डॉ0 निर्मल के0 सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष विधान सभा हरियाणा श्रीमती संतोष यादव जी व राज्यों से आये हुए माननीय विधायकगण एवं अन्य प्रतिनिधिगण, सैक्रेटरी जनरल, लोक सभा श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी, सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी जी, अतिरिक्त निदेशक, लोक सभा श्री एस0 आर0 मिश्रा जी व राज्यों से आये विधान सभा सचिवगण; आप सभी का हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरा में पधारने पर हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ओर से व हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं हार्दिक अभिनन्दन व स्वागत करता हूं।

हिमाचल प्रदेश की विधान सभा का यह भवन जिसमें हम विराजमान हैं, कौंसिल चैम्बर के नाम से जाना जाता है और यह एक ऐतिहासिक भवन है। कौंसिल चैम्बर के भवन का निर्माण कार्य सन 1920 में प्रारंभ हुआ और 27 अगस्त, 1925 को वॉयसराय, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस कौंसिल चैम्बर भवन का प्रयोग कई प्रयोजनों के लिए किया गया। देश के बंटबारे के समय पंजाब सरकार का कार्यालय शिमला को स्थानान्तरित किया गया और पंजाब विधान सभा की बैठक भी इसी ऐतिहासिक भवन में सम्पन्न हुई। सन 1954 में जब हिमाचल प्रदेश को पार्ट-सी स्टेट का दर्ज़ा दिया गया तो उस समय भी विधान सभा की बैठक इसी भवन में हुई थी।

जहां यह भवन वॉयसराय के पद की भव्यता व गरिमा का गवाह है, वहीं ब्रिटिश पार्लियामैंट की Joint Select Committee भारत सरकार के एक्ट 1919 के अनुसार जब श्री विट्ठल भाई पटेल को केन्द्रीय विधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था तो उनके चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया भी इसी भवन के अंदर सम्पन्न हुई थी। यह भवन कई मायनों में ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। आज यह भवन सी0पी0ए0 जोन-IV की कान्फ्रेंस का गवाह बनने जा रहा है। आज देश के अति विशिष्ट मेहमान हिमाचल प्रदेश विधान सभा में मौजूद हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की धरती देव भूमि है और आज सभी देवी-देवता प्रसन्न होकर वर्षा के रूप में आप सभी का अभिवादन और अभिनन्दन भी कर रहे हैं। यहां कण-कण में देवी-देवताओं का वास है। इस देव भूमि में 12 माह देवी-देवताओं के नामों से मेलों की धूम रहती है। प्रदेश में दो अन्तर्राष्ट्रीय मेले, 7 राष्ट्रीय मेले, 19 राज्य स्तरीय मेले, 55 जिला स्तरीय मेले व सैंकड़ों स्थानीय मेलों का आयोजन जन-जन की

प्रभु-भक्ति को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश वीरभूमि है। यहां के लाखों सैनिक देश की सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को यह भी गौरव प्राप्त है कि देश के शौर्य पुरस्कार विजेताओं में हिमाचल का नाम सर्वोच्च स्थान पर लिया जाता है। इस वीर भूमि के जवानों ने आजाद हिन्द फौज, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध और अन्य युद्धों में अपनी देश-भक्ति का परिचय दिया है। हिमाचल प्रदेश को कुल 856 शौर्य पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं जिनमें 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 21 कीर्ति चक्र, 55 वीर चक्र, 92 शौर्य चक्र व अन्य पुरस्कार शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश की लाकतांत्रिक परम्परा भी बहुत उत्तम है। इस विधान सभा ने देश व प्रदेश के जन हित के मुद्दों पर लगातार सार्थक चर्चाएं देखी हैं। सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष दोनों ने समय-समय पर प्रदेश हित के मुद्दों पर पार्टी की दीवारों को तोड़कर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने वर्ष भर में कम से कम 35 कार्य दिवस निर्धारित किये हैं। बजट सत्र के दौरान व अन्य सत्रों में महत्वपूर्ण विषयों पर समय की पाबन्दी को दरकिनार करते हुए आधी-आधी रात तक भी चर्चा होती आई है।

भारतीय लोकतंत्र में दिन-प्रतिदिन चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तीन-चार दशक पहले तक सांसद और विधायक से जो जनमानस की अपेक्षाएं थी उसकी तुलना में आज अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी है। मतदाता की अपेक्षा है कि उसका प्रतिनिधि उनके हर सुख-दुख में शामिल हो। विकासात्मक कार्य करना व उसके लिए सरकार से वार्तालाप करना, यह तो जनप्रतिनिधि का दायित्व है ही, परन्तु वह मतदाता का व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार सहयोग करता है, यह आज की आवश्यकता बन गई है। मतदाता की अपेक्षाओं को पूरा करते समय विधायिकी का कार्य बखूबी किया जा सके, इसके लिए सांसद व विधायक के पास समय का अभाव दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में विधायक को विधान सभा के माध्यम से अनेकोंनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना नितांत आवश्यक होता जा रहा है। जैसे कि आवास की उचित व्यवस्था, उस आवास में संचार माध्यमों की उचित सुविधा, निजी सहायक या अन्य सहयोगी की उपलब्धता नितांत आवश्यक है। हमारी विधान सभाओं में वांछित सभी सुविधाएं बहुदा उपलब्ध नहीं रहती है, जिन्हें बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है।

विधायिका को सुदृढ़ करने की दिशा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए हैं। जिसमें लोकसभा में Reference Section बनाया गया है। कोई भी सांसद वांछित जानकारी का आवेदन करके Reference Section से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार के नॉलेज बैंक की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है और हिमाचल प्रदेश इस दिशा में कुछ पग आगे बढ़ा भी चुका है परन्तु अभी और दूर जाना बाकी है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने ई0-विधान प्रणाली को देश में सर्वप्रथम लागू करके अपने आप को एक पथ-प्रदर्शक के रूप में सिद्ध किया है। 4 अगस्त, 2014 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में ई0-विधान प्रणाली लागू होने के बाद आज यह भारतवर्ष की प्रथम पेपरलैस विधान सभा बन चुकी है। इस प्रणाली के लागू होने से विधान सभा के सदन व समितियों का कार्य पूर्णतः ऑन-लाइन हो गया है। यह प्रणाली न सिर्फ पर्यावरण अनुरूप बल्कि समय की मांग भी है। इस प्रणाली को अपनाने से हिमाचल प्रदेश को औसतन 15 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हो रही है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के Digital India Campaign से प्रेरणा लेते हुए हिमाचल प्रदेश में सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था/प्रबन्ध (Complete Constituency Management) जिसे e-Constituency Management का नाम भी दिया गया है, को प्रदेश के हर विधान सभा क्षेत्र तक पहुंचाने की दिशा में सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं की मोनिटरिंग/लोगों की समस्याओं/आवेदनों का समाधान इसमें सम्मिलित किया गया है। e-Constituency Management को स्थापित करने की दिशा में अभी तक हमने पूरे प्रदेश के 18 विधान सभा क्षेत्रों के लिए 14 workshop-cum-training programmes पूरे कर लिए हैं।

हमें इस बात का भी आनन्द है कि इस दो दिवसीय कार्यशाला व सम्मलेन में 'एक देश-एक चुनाव' व 'नशा मुक्त समाज' - दो अति महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा होगी। हमें श्रीमती सुमित्रा महाजन जी व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिभागियों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए एक बार पुनः मैं आप सब का आभार व्यक्त करता हूं; आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अनेक प्रकार की कठिनाइयां अपने मध्य समेटे हुए है। ऐसे में आपके आवागमन व अन्य व्यवस्थाओं में अनेक प्रकार की

कमियां रह सकती हैं। आशा करता हूं कि हमारी इन कमियों को आप नज़रअंदाज करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी से आग्रह करूंगा कि वह सत्र का विधिवत् उद्घाटन करने की घोषणा करें एवं अपना सम्बोधन दें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय अध्यक्ष, लोकसभाः सबको नमस्कार। यहां पर विराजमान हिमाचल विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिंदल जी, चूंकि हम विधान सभा में हैं इसलिए मैं पहले विधान अध्यक्ष का नाम ले रही हूं, आपको लगेगा कि मैंने पहले मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया; हमारे हिमाचल के माननीय मुख्य मंत्री, श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे साथ बैठे नेता प्रतिपक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और गुजरात से आए हुए विधान सभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, साथ में जो भी यहां पर विभिन्न प्रदेशों के एम0एल0एज़0 बैठे हैं, अधिकारीगण बैठे हैं, उन सब का आज की इस बैठक में स्वागत है। आप लोगों को कल्पना है कि हमारा जो Commonwealth Parliamentary Association - India Region है, हम जब बिहार में बैठे थे तो बिहार में हमने यह तय किया था कि हम इसको रीजन्ज़ में बांटेंगे क्योंकि अगर रीज़नल बैठकें होती हैं तो कहीं-न-कहीं ज्यादा अच्छे से चर्चा हो पायेगी। सभी अध्यक्ष साल में एक बार एक साथ चर्चा तो करेंगे ही, मगर अगर रीज़नल बैठक होती है तो सात-आठ अध्यक्ष और सैक्रेटरीज़ बैठकर आवश्यकतानुसार कुछ विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। मैं आज यहां पर सबका अभिनन्दन करती हूं। थोड़ा तो आज हिमाचल की हवा ने सबको अपना रंग दिखाया है, मगर बहुत अच्छी सुरसुरी ठण्ड है। उसे भी आप सब एंजॉय कर रहे हैं। साथ-ही-साथ मैं विधान सभा के अध्यक्ष को धन्यवाद देती हूं कि ये भी एक कल्पना उन्होंने की कि एम0एल0एज़0 भी साथ में शामिल हों। मुझे लगता है कि रीज़नल बैठक में ऐसा पहली बार हुआ है। यह दूसरी रीज़नल बैठक है, पहली हमने उत्तराखंड में की थी। यह भी एक अच्छी शुरूआत आपने की कि थोड़े एम0एल0एज़0 भी शामिल हों तो उन्हें भी समझ में आएगा कि विषय क्या है, क्या करना है। मैं यहां आप सब लोगों का अभिनन्दन करती हूं। हमने ये जो शुरूआत की है इसके पीछे भाव यह था कि मैं हमेशा 'सस्टेनेबल डवलपमेंट' पर लोकसभा में भी हमेशा जोर देती रही हूं। हिन्दुस्तान और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया है कि 'सस्टेनेबल डवलपमेंट यानी जो विकास सस्टेन करेगा, वह कायम स्वरूप का रहेगा। ऐसा विकास हम सब लोग मिलकर करेंगे। इसके कुछ नॉर्मज़ तय किए गए और आप लोगों ने भी देखा होगा कि मनुष्य के विकास की दृष्टि से, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या

पर्यावरण हो, जो विभिन्न विषय हैं, वह कहीं न कहीं हर प्रदेश व व्यक्ति के करीब होते हैं और ये होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा पहले अपना जो अनुभव था, क्योंकि इससे पहले भी हमने डवलपमेंट गोल हाथ में लिए थे तो उस समय भी कहीं न कहीं ऐसा होता था कि एक पूर्ण चर्चा नहीं हो पाती थी। उसमें सबका मन पूरी तरह से शामिल नहीं था। यहां तक कि पार्लियामेंट मैंबर होने के नाते भी मैंने उस समय यह महसूस किया था। लेकिन इस बार लगा कि ऐसा नहीं चलेगा, जब तक विकास सर्व-समावेशी नहीं होगा और जब तक सबको चर्चा में समाविष्ट नहीं करेंगे, तब तक विकास हो भी नहीं पाएगा। यह सोचकर हमने सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल को महत्व दिया और हमने लोक सभा में यह तय किया कि हर सत्र में एक बार अवश्य ही 'सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल' पर चर्चा होगी। फिर हमने यह भी सोचा कि क्यों न ऐसा ही विधान सभाओं में भी हों। हमने अपनी पहली बैठक में इस पर भी चर्चा की थी और कहा था कि विधान सभाओं को भी उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी जो सी0पी0ए0 इण्डिया रीजन है या जो आई0पी0जी0 सैक्शन (Indian Parliamentary Group) है, इन दो कारणों से साधारणतः हिन्दुस्तान के सभी अध्यक्ष एकत्रित होते हैं। हमने अभी तक विभिन्न विषयों पर चर्चा की है जैसे सत्र कितने दिन चलना चाहिए? क्योंकि कुछ विधान सभाओं का सत्र बहुत थोड़ा चलता है तो सत्र भी पूरा चले और उसकी क्या आवश्यकता है, हम ये सब चर्चाएं कर चुके हैं।

हमने यह भी चर्चा की है कि विधान सभा को फाइनेंशियली कैसे स्वतन्त्र कार्य करना चाहिए। लोक सभा का तो अपना बजट होता है और लोक सभा स्वतन्त्र रूप से अपने बजट के अनुरूप खर्चा करती है। लोक सभा से बजट पारित होता है लेकिन चर्चा नहीं होती है। इसलिए यह स्वतंत्रता विधान सभाओं को भी होनी चाहिए। हमने शुरू-शुरू में यह चर्चा की थी कि सत्र कैसे चलना चाहिए? उसके अनुसार आप लोगों को याद होगा या जो लोग उस समय थे, उनसे जानकारी ले सकते हैं, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को भी इसके संदर्भ में पत्र लिखा था। मैं इसको फिर से कह रही हूं, आपको भी याद आ जाएगा; कुछ नये हैं और उनको भी समझ में आ जाएगा। हमने उस समय सभी मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखे थे क्योंकि सभी अध्यक्षों ने कुछ बातें रखी थी और उसी के अनुसार हमने कुछ सुझाव दिए थे। मैं मानती हूं कि सरकार और विधान सभा दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होता है तथा विपक्ष को भी साथ में लेना पड़ता है। विधान सभा और लोक सभा की यह विशेषता है कि उसमें सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को साथ में लेकर के काम करना होता है। यह बात यहां पर भी माननीय अध्यक्ष विधान सभा और नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, जो

हमारे साथ बैठे हैं, अच्छी तरह से बताई। इसलिए सबकी सहमति से बहुत सारी बातें होना आवश्यक है। हमने अभी तक बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है और जब हम बिहार की विधान सभा पटना में बैठे थे तो एक और बात ध्यान में आई कि हम ग्रुप में बैठेंगे क्योंकि कुछ विषय वहां के और कुछ अन्य 5-7 प्रदेशों के आवश्यक होते हैं। यह भी हो सकता है कि 5-7 प्रदेश मिलकर कुछ बातों पर चर्चा करें और बाद में दूसरे प्रदेशों को बताएं कि हमने इस विषय पर चर्चा की। इस तरह से ज्यादा -से-ज्यादा विषयों पर चर्चा हो सकेगी। इस दृष्टि से हमने चार ग्रुप बनाये हैं और इसमें से एक ग्रुप उत्तराखंड ने सबसे पहले बैठक की है। यहां के बाद अब नॉर्थ-ईस्ट के ग्रुप की बैठक होने वाली है और मैं उसमें भी भाग लेने जाऊंगी। चौथे ग्रुप का भी विचार-विमर्श चल रहा है कि साधारणतया सबकी बैठकें हों।

हमने आज तक इसमें यह विचार-विमर्श किया है कि Budgetary Scrutiny कैसे हो; समितियां कैसे काम करें? कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा की समितियां जो काम करती हैं, मैं यह सभी विधान सभाओं के लिए बोल रही हूं, उसके अनुसार कुछ विधान सभाओं की समितियां अच्छा काम कर रही हैं और जिनको हम स्टैंडिंग कमेटीज़ भी बोलते हैं इनमें कुछ कमियां भी हैं, जिनकी हमने चर्चा भी की है। हमने महिलाओं के एम्पॉवरमैंट की बात भी की थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने एक और काम किया था कि जब हम विकास की बात करते हैं, तब भारत सरकार केवल कुछ योजनाएं बनाये, इससे ही काम नहीं चलेगा। ये योजनाएं धरातल तक पहुंचनी चाहिए और प्रदेश इसमें अपनी योजना जोड़ें। जब तक सम्पूर्ण प्रदेशों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। पहले कुछ राज्य पिछड़े माने जाते थे, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इन राज्यों को बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी। अब एक दृष्टिकोण भारत सरकार ने भी बदला है कि हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम यह कह सकते हैं कि कुछ ज़िले या कुछ प्रदेश विकास के लिए उत्सुक (aspirant) हैं। वे चाहते हैं कि हमारा भी उतना ही विकास हो जितना हमारे पड़ोसी राज्य का हो रहा है। इसके लिए इनको Aspirant Districts की संज्ञा दी गई है। हमने लोकसभा में भी इस प्रकार का सम्मेलन किया था और आप लोग भी उसमें शामिल हुए थे। उसमें हमने कहा था कि ऐसे जिलों के विधायक आ जाएं, जो Aspirant Districts हैं और जो विकास चाहते हैं या जो विकास में अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं; वे लोग आ जाएं, वहां के सांसद आ जाएं। इसके लिए हमने दिल्ली में दो दिन का कार्यक्रम आयोजित किया था और हमने नीति आयोग को भी साथ में लिया था कि क्या-

क्या योजनाएं हैं और इनको कैसे चलायें? हमारा यह कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हुआ था।

हमने एक कार्यक्रम "Empower a woman empower the nation" महिला सदस्यों को ले करके भी किया था और इस प्रकार के कार्यक्रम बार-बार होने चाहिए। अगर हम महिलाओं के बारे में इस बात को कहें कि महिलायें पिछड़ गई हैं या पीछे रह गई हैं तो इस भाव से भी काम नहीं चलेगा। आज महिलायें विधायक, सांसद और सरपंच बनी हैं, वे कुछ-न-कुछ तो बनी हैं; उनमें कुछ-न-कुछ ताकत तो आई है। अभी हमने महिला विधायकों और सांसदों को एकत्र किया था। आप सभी यह जानते होंगे कि हमने एक वर्ष पहले इन महिला विधायकों और सांसदों को एकत्र किया था और यह कल्पना भी रखी थी कि "Empower a woman empower the nation". अब हम राष्ट्र को कैसे सशक्त करें? कुछ अधिकार तो हमारे आ गये हैं। ऐसी कल्पनायें करके हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहां पर हम सब एकत्रित हुए हैं और यहां पर दो विषय चर्चा के लिए रखे गये हैं। इसके लिए हि0 प्र0 विधान सभा अध्यक्ष जी का भी सुझाव था। एक विषय तो पूरे हिन्दुस्तान में चल पड़ा है और यह विषय एक साथ चुनाव का है। क्या लोकसभा और विधान सभा के एक साथ/समकालिक चुनाव हो सकते हैं? पहले ये चुनाव होते थे और अब धीरे-धीरे नहीं हो पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लगातार चुनाव में पैसा भी बहुत खर्च होता है और हमेशा तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि आप सब इस बात को समझेंगे कि अगर किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो वहां पर आचार-संहिता लग जाती है। कई बार आचार-संहिता के कारण भारत सरकार को भी मुश्किल होती है। कोई नई योजना भी डिक्लेयर नहीं होगी क्योंकि भारत सरकार की योजना तो पूरे भारत के लिए रहेगी। यह बात भी सामने आई है कि आप योजना डिक्लेयर ही मत करो। कई विधान सभाओं के चुनाव इस साल और कई विधान सभाओं के अगले साल तथा कई विधान सभाओं के चुनाव तो बड़ी तकलीफ़ में होते हैं। आप सभी अपने-अपने प्रदेशों में यह तकलीफ़ महसूस करते होंगे कि प्रदेश में जब चुनाव होते हैं, चाहे वे पंचायतों या नगर पालिका या नगर निगमों के चुनाव हों तो वहां पर भी आचार संहिता कहीं-न-कहीं आड़े आती है, सही तरीके से उस वक्त कार्य नहीं कर सके हैं। हमारे पड़ोस के जिलों में भी विकास कार्य शुरू नहीं हो सकते। अगर किसी दूसरे जिला में चुनाव हैं तो आप उसके पड़ोस के जिला में भी शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं कर सकते। कई बार इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार-बार चुनावों के होने से पैसे की दिक्कत तो होती ही है, परंतु व्यवस्था की भी दिक्कत हो जाती है। हर महीने चुनाव-ही-चुनाव

लगतार हो रहे हों तो हम विकास की बात कम सोच पाते हैं और विकास कार्यों के लिए समय भी कम मिलता है।

बजट को पास करने में हमने समय के अनुसार परिवर्तन किया है और बजट जल्दी पेश करवाया है। वह हिन्दुस्तान की आवोहवा को देख करके हुआ है । पहले यह होता था कि हमारा बजट मई महीने तक पास होता था। फिर हमारे यहां बारिश का मौसम आ जाता है। बारिश में 4 महीनों तक कुछ कार्य नहीं हो पाता है और फिर कार्य अगर शुरू हो ही गया तो 6 महीनें ही कार्य करने के लिए मिलते थे। कई बार बजट का उपयोग ही नहीं हो पाता था। अब हमने बजट को जल्दी पास करने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि उस पर ज्यादा-से-ज्यादा समय कार्य करने के लिए मिल जाए। अब हमें हिन्दुस्तान के लिए विकास कार्य करना ही है।

यहां एक विषय रखा गया है की किस तरीके से एक साथ चुनाव हों। परंतु इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। इतना जरूर देखना है कि इसका लाभ और हानि क्या हैं। आप सभी के इस बारे में अलग-अलग अनुभव हैं। इस पर नीतिगत कार्य क्या हो सकता है? आर्थिक तौर पर इसके क्या लाभ और हानियां हैं पहली बात तो यह कि क्या कुछ संवैधानिक बंधन हैं; उनको कैसे दूर किया जा सकता है या राजनीतिक दृष्टि से हम सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? यह एक विषय आपके सामने है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुरंत अभी कोई एक साथ चुनाव होना है। हम जानते हैं कि ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है।

हमने लोक सभा में एक बात की थी, शायद आपको भी पता होगी। स्पीकर इनिशियेटिव के बारे में आप बहुत से लोगों को मालूम है। उस पर हम बाद में चर्चा करने वाले हैं ।

एक साथ चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमने चुनाव आयोग के प्रमुख को भी बुलाया था और नीति आयोग के एक व्यक्ति को बोला कि थोड़ी सी चर्चा इस पर प्रारम्भ की है। इस पर आज नहीं तो कल अर्थात पांच वर्ष के बाद यह चर्चा अवश्य होगी कि यह संभव है या नहीं ? चर्चा के बाद हमेशा के लिए चेप्टर क्लोज भी हो सकता है। कुछ भी हो, हम इस पर कोई निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं। इसके पीछे एक भावना है कि हम भी कहीं-न-कहीं विधान सभाओं के अध्यक्ष हैं, हम भी इस बारे में कुछ तो सोच ही सकते हैं, इस बारे में कुछ तो विचार दे ही सकते हैं। ।

इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा विषय ड्रग्स के उपयोग के बारे में है। वास्तव में हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर आदि जो हमारे राज्य हैं, वहां मैं तो कहूंगी कि यह विषय व्यापक होता जा रहा है। जो हमारी सीमा से लगे राज्य हैं वहां तो इसका अलग स्वरूप हो जाता है। लेकिन समाज की दृष्टि से भी इसका दुष्प्रभाव होता है। और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव इसके होते हैं। यह सब सोच करके ऐसा लगता है कि पूरी-की-पूरी पीढ़ी नष्ट तो नहीं हो जाएगी? कहीं-न-कहीं यह नशा हमारे पूरे संस्कारों को नष्ट तो नहीं कर देगा और कहीं-न-कहीं हमारी संस्कृति इससे नष्ट तो नही हो जाएगी ? अनेक प्रकार की सामाजिक बातें भी इसमें आती हैं। इस संबंध में राजनीतिक बातें तो होती ही हैं। मगर यह ड्रग्स का दुरुपयोग, बुरे प्रभाव का समाधान कैसे हो सकता है, यह भी एक विषय हमारे सामने है। आप लोग भी आगे उसमें अपनी-अपनी बात रखेंगे।

एक बात और ई-विधान के बारे में है। सबसे पहले मैं डा0 राजीव बिन्दल जी को धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने Digitalisation का विषय यहां पर रखा है। इस विषय पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी काफी जोर दिया है और हम भी मानते हैं कि यह ई-विधान या पेपरलेस लोक सभा का विषय भी है। यह मात्र इतना ही नहीं है बल्कि कहीं-न-कहीं इसमें व्यापकता है। जो भी योजनाएं हैं और जिसके लिए वह योजना बनाई गई है, उसका लाभ उस लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए । यह सभी उपक्रम उन कार्यों के लिए शुरू किए गए हैं। लेकिन हमने अपने आप को इतना सीमित रखा था कि कागज़ का कम-से-कम उपयोग कैसे हम कर सकते हैं? हमने लोक सभा में भी "पेपरलेस" कार्यक्रम शुरू किया है । उस पर भी आप विचार करेंगे। जब इस पर लोक सभा में चर्चा हुई, तब भी यह कहा गया कि हिमाचल विधान सभा ने ई-विधान का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इसलिए हमने सोचा कि हम सब लोग भी इस प्रणाली को समझें। लोक सभा में भी माननीय सांसदों को कम्प्यूटर, लैपटॉप दिए हैं, मगर उनका उपयोग क्या है? अभी लोक सभा में लिमिटेड वाई- फाई शुरू किया है। माननीय सांसदों को जो चीजें दी हुई हैं, चाहे वह आपका मोबाइल ही क्यों न हो, आप उन चीजों से अपनी जानकारी बैठे-बैठे हासिल कर सकते हैं। आप लोक सभा पुस्कालय और लोक सभा विभाग से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मगर यहां जो एप बनाई गई है और जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी मुझे कल बता रहे थे मैं उसको समझने के लिए उत्सुक हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए यह ऐप बहुत आवश्यक है क्योंकि यहां बहुत से दुर्गम स्थान हैं और ऐसी ही स्थिति जम्मू- कश्मीर में भी है। मध्य प्रदेश में भले ही दुर्गम स्थान नहीं है लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे का डिस्टेंस तो बहुत है। 100 किलोमीटर के अंतर्गत

तो एक- आधी विधान सभा ही आती है। Distance also is the problem. इसलिए यह समस्या आती है कि सब तक कैसे पहुंचे? आपने इस चीज को हल करने के लिए जो ऐप तैयार किया है, उस तरह की जानकारी हमें भी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के नाते मेरे चुनाव क्षेत्र की पूरी जानकारी मेरे पास रहे। मेरे किए हुए काम उसमें कैसे ऐड हों, और जो भी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रम हैं, उन्हें हम समझें, यह आवश्यक है। बाकी राज्यों ने भी इस क्षेत्र में अगर कुछ किया हो तो वे भी अपनी जानकारी सांझा करेंगे। कहीं-न-कहीं एक सार्थक चर्चा इस पर होनी चाहिए। लोकसभा ने भी इसमें कुछ नये आयाम जोड़े हैं। हम युवाओं को internship दे रहे हैं। जब हम लोकसभा में आए तो हमें यह लगता था कि कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने लोक सभा को देखा ही नहीं था। बड़ी उम्र के लोगों को भी यह मालूम नहीं था कि लोक सभा में क्या होता है? वहां क्या करते हैं यह किसी को मालूम नहीं था। हमारे युवा लोक सभा के कार्यक्रम को समझें इसलिए हमने एक महीने का, तीन महीने का internship programme बनाया ताकि They must know how the Lok Sabha is working. कमेटियां कैसे काम करती हैं, यह सब चीजें हमने लोक सभा में की हैं। जैसे हिमाचल के पत्रकार हैं, उन्होंने तो कभी लोकसभा देखी ही नहीं है। हमें उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए हुए भी ऑक्वर्ड लगता है क्योंकि उन्हें लोक सभा के बारे में मालूम ही नहीं है। संसद सदस्य का दिल्ली जाने का मतबल 'गई भैंस पानी में' । लोक सभा में दिन भर क्या काम होता है उनको कुछ मालूम नहीं होता है। यह मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूं। मैं दिल्ली जाती हूं और वहां क्या काम करती हूं, यह मालूम नहीं होता है। जब पत्रकार लोग प्रश्न पूछते थे तो मैं उनको बोलती थी, आप इस तरह से प्रश्न पूछिए। फिर मेरे ध्यान में यह बात आई कि मेरे जिला के पत्रकारों ने लोक सभा को देखा ही नहीं है तो वे मुझसे क्या प्रश्न पूछ सकेगें? इसलिए हमने इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है कि प्रदेश के कुछ चुनिंदा पत्रकार वहां आएं। वह भी संबंधित विधान सभा अध्यक्षों पर छोड़ दिया है कि वे अपने प्रदेश के 15-20-25 पत्रकारों को दिल्ली भेजें। हम उनको यहां पर दो - तीन ट्रेनिंग देंगे। आपका सिर्फ भेजने का काम है और बाकी की व्यवस्था हम स्वयं यहां पर संभालेंगे ताकि उनको यह पता लग जाए कि पार्लियामैंट क्या है, पार्लियामैंट लाइब्रेरी क्या है, यहां पर कैसे काम होता है, उसकी समझ हो जाए। इस प्रकार के उपक्रम हम वहां पर कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं कि आज बाहर के देशों में भी हिन्दुस्तान के प्रति उत्सुकता बड़ रही है। हमने जो यहां पर एस.आर.आई. या इंटरशिप शुरू की; अभी दो-तीन देशों के साथ हमने एम0ओ0यू0 भी किया है कि अगर आपके यहां से भी

युवा आते हैं तो हम उनको internship देंगे। भारत सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है और यहां कैसे काम होता है वे उसको भी देखें। ऐसे बहुत सारे उपक्रम शुरू किए गए और इसलिए मैंने सोचा कि यह बात विधान सभा तक भी पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसके लिए वर्ष में एक बार चर्चा होती है और वह चर्चा एक दिन में ही पूरी हो जाती है। दूसरे दिन हम लोगों को जाने की जल्दी रहती है। इसलिए इन जोनल बैठकों की कल्पना की गई है। जैसे आज दो विधान सभाओं में लोकल बॉडीज के चुनाव हैं तो वहां से इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि नहीं आ सके हैं। मगर वहां के सचिव यहां उपलब्ध हैं, आप उनसे विस्तृत बात कर पाएंगे। उसमें आपके अपने प्रदेश की बात आएगी, फिर उसकी रिपोर्ट जब सी.पी.ए. की एकत्रित बैठक होगी, जोनल बैठकों में हमने क्या-क्या किया उसमें वह सब आएगा। इस बार मैं अभी इतना ही आपको बताऊं कि सी.पी.ए. की सालाना एकत्रित बैठक जनवरी में महाराष्ट्र में करने की सोच रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देती हूं कि आप यहां आए हैं। जो नहीं आ पाए, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि चुनाव हैं, इसलिए नहीं आ पाए। मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष नहीं आ पाए, लेकिन दोनों प्रदेशों के अधिकारी तो यहां मौजूद हैं। ये वहां रिपोर्ट देंगे। विधायकगण भी मौजूद हैं।

तो अब आप चर्चा की शुरूआत करें। मैं आप सबको बधाई देती हूं। मैं बताऊंगी कि मुझे विशेष रूप से अच्छा लगा कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री यहां हैं क्योंकि यह वास्तव में बहुत आवश्यक है। हम अध्यक्ष तो अपनी बैठक करते हैं और मुख्य मंत्री आकर मिलकर जाते हैं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि मुख्य मंत्री पूरी बैठक में रहेंगे। यह बहुत अच्छी बात है? यह आप भी देखिए कि हमारी बैठकों का धीरे-धीरे कुछ तो परिणाम निकलेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी आज पूरा समय हमारी बैठकों में रहेंगे और अपने विचार भी रखेंगे, उनका भी स्वागत है। आप सभी का भी स्वागत है। बाकी आपकी चर्चा जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, वह बीच-बीच में देख लेंगे। धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : ताई सुमित्रा महाजन जी ने इनॉगरल अड्रैस देकर हमें अनुगृहीत किया और इस कार्यशाला का विधिवत् शुभारम्भ भी किया। हम इनके बहुत-बहुत आभारी हैं। हमारी 'Discussion of topics for conference of Presiding Officers' को हम प्रारम्भ करते हैं। हम समय से 20-25 मिनट लेट चल रहे

हैं। उस समय की परिधि के अन्दर हम अपनी बात को रखें। पहला विषय हमारा भारत में लोक सभा और विधान सभाओं के समकालीन चुनाव है। जिसके ऊपर चर्चा का श्रीगणेश हमारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने किया है। मैं चाहूंगा कि इसको हम शुरू करें। मेरा आग्रह सबसे पहले डॉ. निर्मल सिंह जी से हैं जोकि पूर्व में उप मुख्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान जम्मू-काश्मीर के माननीय अध्यक्ष हैं, वह इस विषय की परिकल्पना रखें। बाकी लोग फिर इसमें अपने विचार सांझा करेंगे।

डॉ. निर्मल सिंह, माननीय अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर विधान सभा : अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के इस राष्ट्र-मण्डल संसदीय संघ भारत क्षेत्र IV सम्मेलन की जो कार्यशाला है, इसमें आज की हमारी मुख्य अतिथि ताई सुमित्रा महाजन जी जो लोक सभा की अध्यक्षा हैं, डॉ. राजीव बिन्दल जी हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष और जितने भी हमारे सभी प्रदेशों के सम्मानीय हमारे विधायकगण और बाकी जो यहां अधिकारीगण हैं, सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि मुझे और जो मेरे साथी हैं इस सम्मेलन में भाग लेने का हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। काश्मीर से हमारे दो माननीय सदस्य आए हैं। एक जम्मू से मेरे साथी हैं। जिस प्रकार की वहां की परिस्थितियां हैं और जिन परिस्थितियों में हम वहां काम कर रहे हैं, उसके मद्देनज़र यहां किस प्रकार का वातावरण है, उसको भी देखने का हमें मौका मिलेगा और इसमें जो खुली चर्चा होगी, इसका अनुभव ले जाते हुए हम जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा।

जिस विषय की शुरूआत करने के लिए मुझे कहा गया है, वह है 'One Nation One Election'. मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो यह चर्चा है इसमें पंचायत/स्थानीय निकायों के चुनाव की बात नहीं है। इसमें फोकस मुख्यतः लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों के ऊपर है और यह चर्चा भी आज से नहीं चल रही है। हमारा लोकतंत्र लगभग 68 साल से है और हमें आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं। यहां इवोल्विंग डेमोक्रेसी हैं और इसमें हमें कई अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। हम अपने अनुभवों से भी सीख रहे हैं और जो पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे भारत की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार हमारे अपने अनुभव हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए जो

लोकतंत्र के चुनाव होते हैं उन चुनावों में भी हमारे कई प्रकार के अनुभव हैं। उन अनुभवों के कारण ही चुनाव सुधार के विषय पर बड़े लम्बे समय से चर्चा चल रही है कि पूरे देश में एक समय में चुनाव हों।

वर्ष 1950 में हमारे संविधान के लागू होने के पश्चात लगभग 4-5 चुनाव हुए थे जिनमें वर्ष 1952, 1957, 1962 और वर्ष 1967 के चुनाव थे। ये चुनाव लोक सभा और विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं के इकट्ठे हुए थे लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधान सभाएं भंग हो गईं। इस कारण से जो एक साइमल्टेनियसली इलैक्शन की बात थी, वह थोड़ी दूसरी दिशा में चली गई। फिर जो चौथी लोक सभा थी उसके भंग होने के बाद यह सिस्टम शुरू हो गया कि इकट्ठा इलैक्शन करवा पाना संभव नहीं है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बात की चिन्ता व्यक्त की गई। वर्ष 1983 में इलैक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर चिन्ता दर्ज़ करवाई और उसके बाद यह चर्चा शुरु हुई। उसके बाद वर्ष 1999 में लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें भी यह चर्चा हुई। वर्ष 2015 में शायद वह पार्लियामैंट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उस कमेटी ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की। फिर भारत में जो बड़े-बड़े डिग्निटरीज हैं उन्होंने भी इस पर चिन्ता व्यक्त करते हुए डिबेट शुरू की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने भी इस विषय को उठाया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी इसके पक्ष में बात की है। इसी प्रकार से हमारे वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने भी कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पूर्व चीफ इलैक्शन कमीशनर श्री एस0वाई0 कुरैशी साहब ने भी इसके ऊपर चिन्ता व्यक्त की। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस पर कहा कि फैडरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इस बारे में कोई आपसी सहमति बननी चाहिए और इस पर कोई फैसला होना चाहिए। इसी प्रकार से आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो रिजनल पार्टीज हैं उन्होंने भी इस पर बात की और कहा कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो त्रुटियां रहती हैं, इसके कारण कई नुकसान हो रहे हैं इसलिए इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो एक बड़े लैवल पर यह चर्चा शुरू हुई। परन्तु इसके साथ-साथ जितने इसके पक्ष में हैं उसी तरह से दूसरी तरफ लोगों के अपने-अपने मत भी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके ऊपर विरोध जताया और नहीं कहा। इस प्रकार की बात वहां से आई। सी0पी0एम0 ने तो यहां तक कह दिया कि नहीं, यह ऐंटी ड्रमोक्रेटिक प्रोसैस होगा। इस तरह की एक डिबेट चली है। इसी प्रकार हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया एम0एन0 वैंकटाचलैया जी ने भी कहा कि in parliamentary democracy referedum में काम

करना इतना संभव नहीं रहता। इस तरह से यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है और लोकतंत्र में हम इसमें विश्वास करते हैं 'we agree to disagree' और उसके बाद कन्सेंसस से बातें हों। जैसे हमारी माननीय लोक सभा की अध्यक्ष महोदया श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने बात कही है कि विराधी पक्ष और सत्ता पक्ष; दोनों इस बारे में चर्चा करें और दोनों की सहभागिता के बाद ही हम किसी कन्सेंसस पर पहुंचें। जैसे इन्होंने कहा कि इसमें शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके मैरिट और डीमैरिट को देखते हुए हम इस पर चर्चा करें तथा इस पर कन्सेंसस की बात है। जब कर्नाटक के इलैक्शन आ रहे थे तो उस समय मुझे इंडियन एक्सप्रैस की एक रिपोर्ट पढ़ने को मिली। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इलैक्शन में साढ़े 9 हजार से लेकर साढ़े 10 हजार करोड़ रु0 का खर्चा आया है। यह सही फिगर होगा या न होगा, मैं उस डीबेट में नहीं जाऊंगा लेकिन उन्होंने एक इशारा किया कि इतना खर्चा सरकार का भी होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी होता है। इस प्रकार की पृष्ठभूमि में ऐसी चर्चा करना आवश्यक है। यहां पर कहा गया कि जब इकट्ठे चुनाव होते हैं तो सरकार का बजट/पब्लिक के पैसे को हम बचा सकते हैं और विकास के कामों में उसको लगा सकते हैं। इसी प्रकार से विकास के काम के लिए समय मिल सकता है। मैं जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां जिस प्रकार का मौसम है और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, हमारी वहां पर साढ़े तीन साल सरकार रही और मुश्किल से वहां पर हमें दो साल काम करने का मौका मिला। वहां के हालात के अनुसार दिसम्बर के बाद कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में काम करने का समय नहीं मिलता। लेकिन अभी वहां पर लोकल बॉडीज़ के इलैक्शन अनाउंस हो गए हैं। वहां पर पंचायत इलैक्शन होंगे और दो-तीन महीनें हमारे इसी में चले जाएंगे। इन इलाकों में अभी से लेकर दिसम्बर,जनवरी और फरवरी तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। यदि वहां पर इकट्ठे इलैक्शन्ज़ हों तो हमें काम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इसी प्रकार से राजनीतिक पार्टियों का जो एक्सपैंडिचर रहता है उसकी भी बचत होगी। जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर चर्चाएं होती हैं, प्रश्न चिन्ह लगते हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी इसका हमें लाभ होगा। मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूंगा या कभी बिहार की बात चलती थी या बाकी जगहों पर इलैक्शन्ज़ के वक्त सिक्योरिटी फोर्सिज़ की आवश्यकता रहती थी, अभी हमारे लोकल बॉडीज़/पंचायत के इलैक्शन आ रहे हैं तो हमें चिन्ता है कि पूरे देश से किस प्रकार से हम सिक्योरिटी फोर्सिज़ लाएं। हमें उसकी डिप्लॉयमैंट की बहुत बड़ी चिन्ता रहती है। सरकर

को चिंता होती है कि कहां से सिक्योरिटी फोर्सिज आएंगी और कैसे उसकी डिप्लॉयमैंट होगी कि कम से कम वायलैंस हो।

इसी प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, अभी हमारे लोकल बॉडीज के इलैक्शन्ज शुरू हो गए हैं, इसके बाद वहां पर काम नहीं होगा। हमारे विपक्ष का कहना है इसमें नेशनल एजैंडे के ऊपर फोकस रहेगा जबकि इसमें रीज़नल एस्पिरेशन्ज़ को भी एड्रैस करना चाहिए। ये सारी बातें हैं जिनके ऊपर खुली चर्चा हो रही है । यह अच्छी बात है कि हम इस फोरम में भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस पर अच्छी चर्चा हो और इसके ऊपर कोई अच्छी रिकोमैंडेशन हमारी तरफ से जाए, यही मैं आशा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : श्री निर्मल सिंह जी ने इसको रोल आउट कर दिया है और हम सभी लोग समय की परिधि में अगर तीन-चार मिनट में अपनी बात करेंगे क्योंकि टाइमर चल रहा है और हम उस टाइमर पर नज़र दौड़ा सकते हैं। अब मैं गुजरात के माननीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र जी से आग्रह करूंगा कि कृपया पांच मिनट में अपनी बात रखें।

श्री राजेन्द्र सूर्यप्रसाद त्रिवेदी, माननीय अध्यक्ष, गुजरात विधान सभाः आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल जी, माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, माननीय लीडर ऑफ अपोजीशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और बाकी सभी आदरणीय अध्यक्षगण व विधायकगण। चर्चा करना बहुत आवश्यक होती है, समय बदलता रहता है और सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। सिस्टम बदलना है तो विचार रखना पड़ेगा। विचार कार्यान्वित करने के लिए चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और इसी कारण से मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी चर्चा आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छेड़ दी है। इसके कई कारण हैं। 'न भूतो न भविष्यति' ऐसा हम कहते हैं। मगर यहां तो भूतकाल में भी इलैक्शन्ज हो चके हैं। क्या हम इस इलैक्शन को एक साथ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसके फायदे व नुकसान क्या-क्या हैं? उस बारे में चर्चा करना आवश्यक है। यह चर्चा जब लॉ-कमीशन के माध्यम से होती है और लॉ-कमीशन जब अपनी रिपोर्ट रख देता है तो इसमें कई बातें उभर कर आती हैं। सबसे बड़ा समय बचता है

और समय से महंगी कोई चीज़ है नहीं। पैसे तो बचते हैं, खर्च तो बचता है, साथ में इलैक्शन करने से बहुत बड़ा नुकसान जो होता है वह शायद किसी के ध्यान में नहीं आता है। मैं कभी प्राईमरी एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन रहा था। हमारे हाथ के नीचे 50 हज़ार स्टूडैंट्स और 1500 शिक्षक थे। जब-जब छोटे-बड़े चुनाव आते थे, चाहे वे नगरपालिका के हों, महा-नगरपालिका के हों, विधान सभा के हों या लोक सभा के हों तो शिक्षकों को इस इलैक्शन के काम में बड़ी तादाद में लगाया जाता है और उसके कारण जो शिक्षण की हानि होती है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए बच्चों की एजुकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए।

आचार-संहिता की जैसे बात है कि हर इलैक्शन में आचार-संहिता लगती है और काम रुक जाता है, ठप हो जाता है। छोटे-बड़े अधिकारीगण सभी उसी काम में लग जाते हैं। अगर आप किसी सरकारी विभाग में कोई प्रश्न लेकर चले जाओ तो यही आंसर मिलता है कि चुनाव चल रहा है, आचार-संहिता लगी है, हम उसी काम में लगे हैं। इसमें देश का पैसा तो खर्च होता ही होता है मगर समय भी बर्बाद होता है जबकि समय का आज के युग में बहुत बड़ा महत्व है। हम अब 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं तो यह सरकारी खर्च बचाना, सिक्योरिटी फोर्स का समय और खर्च बचाना, शिक्षा का समय और खर्च बचाना हमारा दायित्व है। एक छोटी-सी बात रखना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में स्कूलों में समर वकेशन होता है, यह स्कूल और कॉलेज में समर वकेशन करीब-करीब एक समय में क्यों रखा जाता है? किसी ने तो कभी-न-कभी सोचा होगा, अगर सभी स्कूल वाले अपनी मनमानी कर दें और मनमानी से इम्तिहान लेंगे तो इस देश में क्या हो जायेगा? कोई कहीं पढ़ रहा है, कहीं दसवीं के इम्तिहान हो रहे हैं, कहीं ग्यारहवीं के हो रहे हैं तो सभी को सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है और इसी तरह इस इलैक्शन के विचार को भी हमें सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। हम देखते आए हैं कि जब-जब बदलाव लाना होता है तो आगे बढ़कर एक हिम्मत दिखानी पड़ती है। हिम्मत से ज्यादा, पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र नीति का ध्यान करना पड़ेगा। मुझे "प्रतिपक्ष" शब्द बड़ा पसन्द आया जोकि माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने बताया। लोगों में एक मान्यता बन गई है कि जो सत्तापक्ष में नहीं है वह विरोध करने के लिए बना है जबकि वह विरोध के लिए नहीं बना है, वह अपना विचार रखने के लिए बना है। कई बार प्रतिपक्ष भी आपकी बात का समर्थन करता है, ऐसा हमने कई बार विधान सभा में देखा है। हम चाहेंगे कि यहां पर जो सी0पी0ए0 जोन-IV की बैठक हो रही है उसमें कम समय में ज्यादा लोगों को चर्चा का मौका मिले। आज हिमाचल प्रदेश

ने जो हमारी आवभगत की है, उससे हम हिमाचलमय हो गए हैं। हमने टोपी इसीलिए नहीं निकाली है क्योंकि आपने इतना प्यारवश कर लिया है। हम विठ्ठल भवन में हैं तो गुजरात और आपका नाता सीधा लगता है क्योंकि विठ्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे तथा हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमें आमंत्रित किया है। आपने हमारी आवभगत की, हमने कई जगह तफरी भी की है, हमें आप लोगों का प्यार बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधान सभा, श्री कंवर पाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री कंवर पाल, माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभाः माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, डॉ0 राजीव बिंदल जी माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा, श्री जय राम ठाकुर माननीय मुख्य मंत्री (हिमाचल प्रदेश) श्री मुकेश अग्निहोत्री माननीय नेता प्रतिपक्ष।

पूरे देश में चुनाव एक साथ हो इस पर चर्चा आरम्भ की गई है। मैं भी इसके पक्ष में हूं। पहले भी चुनाव एक साथ होते रहे हैं और इससे धन और समय की बचत होती है। लेकिन मैं इससे आगे भी और कुछ कहना चाहता हूं कि सिर्फ लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव ही एक साथ न हों, बल्कि जितने भी चुनाव होते हैं, उनके लिए समय निर्धारित हों। पहले लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ हों और उसके बाद दूसरे स्थानीय निकायों के चुनाव भी दो महीनों के अंदर ही होने चाहिए। इसके लिए एक समय निर्धारित कर देना चाहिए ताकि देश में लोगों को फिर 5 साल का समय मिले कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं यानी लोग उसके बाद फैसला करें। वरना क्या होता है कि 5 के 5 साल चुनाव ही चलता रहता है। मान लो एक पार्टी है, वह बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्त्ता हूं। मुझे पता है कि मुझे नगर निगम, सरपंच या ब्लॉक समिति का टिकट चाहिए। मैं उस समय पार्टी के कार्य से सहमत नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं लोगों को साथ लेकर चलता हूं क्योंकि मुझे सरपंच, ब्लॉक समिति का मैंबर या जिला परिषद् का मैंबर बनना है। इसलिए मैं उस पार्टी की कमियों को भी छिपा करके और लोगों को अपने हित के लिए गुमराह करता हूं। पूरे देश में लोक सभा और विधान सभाओं के साथ-साथ जो दूसरे चुनाव है, चाहे वह पंचायत या नगर पालिका के चुनाव है, उन चुनावों को भी अगर हम एक ही साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर देश की

जनता को एक समय मिलेगा और वह सरकार की कारगुजारी के ऊपर फैसला करेंगी। इस प्रकार से 5 साल बाद जब फैसला करेगी तो वह सरकार की कारगुजारी पर फैसला करेगी और तब पार्टियों को भी पार्टी की चिन्ता करनी पड़ेगी कि हमें कारगुजारी करके दिखानी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि चुनाव एक साथ होंगे तो इससे देश के साथ-साथ सबको लाभ होगा।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : अब श्री घनश्याम दास जी, माननीय सदस्य, हरियाणा विधान सभा चर्चा में भाग लेंगे।

श्री घनश्याम दास, सदस्य, हरियाणा विधान सभाः माननीय अध्यक्ष महोदया लोक सभा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष व माननीय मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। चुनाव एक साथ होने चाहिए यह चर्चा हमने यहां की। परन्तु इसके आड़े आने वाली जो बातें हैं, वह है कानून। विधान सभा और लोक सभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। परन्तु यदि वहां पर विश्वासमत 5 साल तक लगातार सत्ताधारी पार्टी नहीं रख पाती और चुनाव करवाने की नौबत आती है तो उस समय किस प्रकार से सभी चुनावों को एक साथ करवाया जाये, इसमें बहुत बड़ी बाधा आएगी। इसलिए विषय को बहुत ज्यादा लम्बा न खींचते हुए यदि सभी चुनाव एक साथ हों और यह सभी राजनैतिज्ञ स्वीकार भी कर लें तो भी रास्ते में आने वाली जो कानूनी कठिनाइयां है, विश्वासमत प्राप्त न कर पाने की स्थिति में और कई बार विशेष परिस्थितियों में चुनाव कैसे इकट्ठे करवा पाएंगे? उस टाइम-गैप को यदि हम इकट्ठा करवाने की ओर बढ़ते हैं तो जो समय रहा हुआ है, उसमें कौन शासन करेगा और कैसे शासन करेगा? इसका समाधान पहले ढूंढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद चुनाव को इकट्ठे करवाने का निर्णय लेना चाहिए।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : अब श्री जावेद हुसैन, सदस्य, जम्मू-कश्मीर विधान सभा चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जावेद हुसैन, सदस्य (बारामुल्ला), जम्मू-कश्मीर विधान सभाः मख्तरमुलमुकाम लोक सभा अध्यक्ष साहिबा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष व माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य अतिथि साहिबान।

यहां पर जो एक मुल्क और एक चुनाव की बात हो रही है, एक अंग्रेजी कहावत है कि Changing strategy with changing time यानि बदले हुए हालात का तकाज़ा यह है कि इलैक्शन्ज में रिफॉर्म होना चाहिए ताकि जो हुकूमतें हैं वह अकाउंटेबल भी हो और हुकूमतें अपना व़क्त भी पूरा कर सकें। जहां तक बहुत सारे शख्शियात ने यह कहा कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, इसमें आप कानूनसाज़ी कर सकते हैं कि मुल्की सत्ता और रियासती सत्ता पर एक ही चुनाव हों। लेकिन इसमें एक नुक्ता है और इस पर सबको गौर करना चाहिए। वह यह है कि आपकी कैबिनेट के पास मुल्की सत्ता पर और हरेक रियासत की कैबिनेट के पास आयनी और कानूनी इख्तियार होता है। इस इख्तियार के अनुसार अगर वे महसूस करें कि हुकूमत चलाना मुश्किल और दुश्वार हो गया है और किसी भी वज़ह से हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जो उसको करनी चाहिए तो मुल्की सत्ता पर जो प्रधान मंत्री हैं, वे अपनी कैबिनेट से यह फ़ैसला करते हैं कि मुझे हुकूमत डिज़ॉल्व करके छः महीने या एक साल के अंदर चुनाव करवाने चाहिए ताकि मैं नया मैनडेट ले करके लोगों के पास जाऊं। जब आप सारे मुल्क में एक चुनाव करेंगे तो उनको इसके लिए कितना बड़ा कम्प्रोमाईज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी रियासत में गवर्नर साहब यह महसूस करते हैं कि आपकी कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है। जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में हुआ है कि आपको गवर्नेंस और कानून-व्यवस्था के ईश्यू पर, एंटी नेशनल एलिमैंट्स के साथ डील करना है और इस ईश्यू पर सरकार को बर्खास्त करना है या असैंम्बली डिजॉल्व करनी है तो आप एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि आपको मुल्क की सत्ता पर इतने बड़े कम्प्रोमाईज़ करने पड़ेंगे। अगर प्रधान मंत्री जी किसी भी वज़ह से मुल्क में या कुछ रियासतों में कभी भी नये चुनाव करवाना चाहें तो आप इतना बड़ा फैसला लेंगे या कानून बनायेंगे तब आपके पास ऐसे कौन-से चैक्स और बैलेंसिज़ होंगे? अगर आप किसी स्थान पर हुकूमत डिसमिस करते हैं तो फिर नया चुनाव कैसे होगा? मेरे अनुसार कानून तो बनाये जा सकते हैं और इसको अमलीज़ामा भी पहनाया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कम्प्रोमाईज़िज करने पड़ेंगे तथा ये कम्प्रोमाईज़िज कभी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ़ होंगे और कभी ऐसे होंगे कि आप पैसा तो बचा सकते हैं लेकिन मुल्क में अच्छी गवर्नेंस के लिए जो चैक्स और बैंलेंसिज़ हमारे सिस्टम या लोकतंत्र में हैं और इतने बड़े मुल्क में इस तरह के फैसले लेने से पहले आपको दस बार सोचना चाहिए। क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा जमूरी मुल्क है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी आप मुल्क को चलाना चाहें, हम आपके साथ हैं और हमारा पूरा सहयोग है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : बहुत अच्छी डेलिब्रेशन हो रही है लेकिन थोड़ी समय की पाबंदी है। अब श्रीमती गीता भुक्कल, माननीय सदस्य, हरियाणा विधान सभा चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कल, माननीय सदस्य, हरियाणा विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं, माननीय चेयरपर्सन कॉमन वैल्थ पार्लियामैंट्री एसोसिएशन और अध्यक्ष महोदय लोकसभा, माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी।

आपने ई-गवर्नेंस और ई-डेमाक्रेसी के लिए यहां पर सभी राज्यों को न्यौता दिया और हम सभी यहां पर आए। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश सरकार व विधान सभा अध्यक्ष माननीय राजीव बिन्दल जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा बहुत ही बढ़िया स्वागत किया और उतने ही बढ़िया टॉपिक्स डिस्कशन के लिए रखे हैं। आज यहां पर हमारे आदरणीय बहुत सारे स्पीकर्ज़ और साथी उपस्थित हैं। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें बहुत सारे राज्यों के अध्यक्षों और सदस्यगणों के साथ बोलने और बैठने का मौका मिला तथा जानकारी भी प्राप्त हुई कि उनके राज्यों में किस तरह से कार्य चल रहे हैं। यहां पर दो विषय दिये गये हैं। एक विषय यह है कि नेशनल और स्टेट लेवल पर चुनाव इकट्ठे करवाये जाएं। क्योंकि जो चुनाव होंगे, वे लोकसभा और विधान सभा, जिला परिषद, ब्लॉक समिति तथा लोकल बॉडीज़ के चुनाव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कमेटीज़ के चुनाव होंगे। पूरे देशभर में लोकसभा स्तर पर एक ही कानून है और उसी हिसाब से ऑटोनोमस बॉडी यानी चुनाव आयोग हमारा चुनाव करवायेगा। लेकिन जहां तक स्टेट, लोकल बॉडीज या विधान सभा के चुनाव हैं और जहां तक मेरा अपना ज्ञान है, उसके हिसाब से उनके अपने-अपने रूल्ज, रेग्यूलेशन्ज़ और प्रोसीज़र्ज हैं। हर स्टेट के रूल्ज़ अलग हैं। कई जगहों पर लोकल बॉडीज़ के डायरैक्ट इलैक्शन होते हैं, डायरैक्ट इलैक्शन ऑफ सरपंच या म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन के होते हैं। कई राज्यों में विधायकों के चुनाव के बाद ही मुख्य मंत्री और विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हैं। ठीक है कि यह प्रक्रिया पहले भी अपनायी गई है और आगे भी इस प्रक्रिया को अपनाये जाने की तैयारी है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आयोग हमारी ऑटोनोमस

बॉडी है और उस पर इस बात का कितना ज्यादा दबाव पड़ता है। क्या केवल चर्चा करें और निर्णय ले लें कि हम इकट्ठा चुनाव करा दें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सम्भव है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तैयारी इसके लिए पूरी होनी चाहिए। उनके पास पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पूरे इनसेंटिव्स होने चाहिए, पूरी ई.वी.एम्स. होनी चाहिए। ई.वी.एम्स. के साथ-साथ जो मुझे जरूरी लगता है वह कानून-व्यवस्था की स्थिति है। कानून-व्यवस्था पूरे देश में और प्रदेशों में अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि जम्मू-कश्मीर का जिक्र आया है। विशेष तौर से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वहां पर छोटे से पंचायत के चुनाव भी करवाते हैं तो वहां पर कानून को हाथ में ले लिया जाता है । ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। मेरा केवल इतना ही सुझाव है कि राज्यों की भी अलग-अलग नियमावली है और अलग-अलग कानून है। देश भर में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन है there should be some coordination between them. न केवल जो इलेक्टिड मेंबर आज यहां पर आए हैं वे ही इस विषय पर चर्चा करें, यह सही नहीं रहेगा। बहुत सारी ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो कि सरकार के अभिन्न अंग हैं जिनकी राय बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमने यहां पर रखी है इस विषय पर हमें सबसे बात करनी चाहिए। अगर अचार संहिता की बात आएगी तो क्या पूरे देश भर में अचार संहिता लगा देंगे? क्या पूरे देश भर का काम रोक दिया जाएगा? हमारे बहुत से कल्याणकारी कार्य हैं जो आम जनमानस से जुड़े हैं जिनके उद्घाटन करना बहुत जरूरी होता है या फिर उन पर कार्य आरम्भ करना बहुत जरूरी है या due to some defence problem या सुरक्षा की प्रॉब्लम है। क्या हम इन सभी कार्यों को करवा पाएंगे ? मेरा मानना यह है कि इन विषयों के ऊपर भी पूरी गम्भीरता से चर्चा करें फिर इस संबंध में निर्णय लें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : अभी कई लोग इस विषय में बहुत रूचि ले रहे हैं, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए मैं उपाध्यक्ष हरियाणा, श्रीमती सन्तोष यादव जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्रीमती सन्तोष यादव, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा : माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल जी,

माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जय राम ठाकुर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, गुजरात की विधान सभाओं से आए माननीय अध्यक्ष और अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी पीठासीन अधिकारी साहेबान एवं सभी अधिकारी व कर्मचारी गण।

इससे पहले मैं कुछ कहूं, सबसे पहले मैं आदरणीय हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष का अभिनंदन करना चाहूंगी कि आपने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया है। आज जो विषय आपने यहां पर चर्चा के लिए रखे हैं, वे बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी यह विषय रखा है कि एक साथ सभी चुनाव होने चाहिए। सन् 1952,1957,1962 और 1967 में ये चुनाव पहले भी हुए हैं। इस तरह के देश ने 7 चुनाव देखें हैं। यदि कोई घटना होती है तो चुनावों का चक्र टूट जाता है। लेकिन आज समय की यह जरूरत बन गई है, आज समय ऐसा आ गया है कि हम पूरा वर्षभर चुनावों पर ही लगे रहते हैं। चुनाव एक साथ हों, यह समय की आवश्यकता है। आज के वक्त में हर समय चुनाव होने के कारण बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर इस पैसे को बचाएं और इसे विकास कार्यों में लगाएं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। लोगों का पैसा लोगों के विकास कार्यों के लिए लगे तो यह बहुत ही अच्छा होगा। चुनावों के दिनों में हमारे सुरक्षा बल कानून-व्यवस्था के लिए लग जाते हैं । हमारे जवान सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। परंतु चुनाव के चलते हमारे अर्ध सैनिक बल व्यस्त रहते हैं। इसी तरह से हमारे गुजरात के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सारे समय अध्यापकों की ड्युटियां चुनावों में लग जाती है। इतना सारा अमलीजामा कर्मचारियों का रहता है कि हम सारा साल चुनाव करवाने में व्यस्त रहते हैं। कभी लोक सभा, कभी विधान सभा, कभी लोकल बॉडीज के कभी पंचायतों के चुनाव करवाने में लगे रहते हैं। आज समय की तकनीक को देखते हुए हम विचार करें, हमारा लॉ कमीशन, हमारा इलेक्शन कमीशन और सभी दल इस विषय पर विचार करें कि इसे अमलीजामा कैसे पहनाया जाए।

इस बात पर विचार करें कि इसको कैसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है और हम इन टैक्निकल्टीज का कैसे समाधान कर सकते है? जैसे हमारी बहन श्रीमती गीता भुक्कल

जी ने बताया कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि बीच में ही चुनाव करवाने पड़ जाते हैं या रीजनल इश्यूज आ जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन पर कोई कानून बनाते हुए कि यदि बीच में इस तरह का चुनाव आ गया तो उसका कैसे निपटारा होगा, कैसे टेक्निकल्टीज को दूर कर सकेंगे? यह चर्चा करने का विषय है और इस पर बहुत गहनता से चर्चा होनी चाहिए तभी इसको हम अमलीजामा पहना सकेंगे। आज 21वीं सदी है और 21वीं सदी में हम कैसे भारत का विकास कर सकते हैं? जैसे अभी मैडम, लोकसभा अध्यक्ष महोदया ने कहा कि सस्टेनेबल डवलपमेंट चाहिए तो सस्टेनेबल डपलपमेंट आज समय की जरूरत है और इस पर मंथन करने की जरूरत है। धन्यवाद ।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : धन्यवाद जी, अब जम्मू-कश्मीर से माननीय विधायक श्री बशीर अहमद धर जी चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Bashir Ahmad Dar, Member, Jammu & Kashmir : Madam Speaker and other dignitaries, so far as this topic is concerned, नीयत अच्छी है लेकिन ऐसा न हो कि यह गालिब की तरह 'दिल बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है', मैं कहना चाहता हूं कि फीजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली यह हमारे मुल्क के हित में हैं, हक में है और हमें इस पर थ्रैडवैयर डिस्कशन करनी चाहिए क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि हम आज यहां पर चर्चा करें और कल यह मसला हल होने वाला है। बहुत सारे मसाइल-दर इसमें पेश है लेकिन जो सब लोगों ने मिल कर यहां पर बोला, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, मैं नया विधायक हूं, मैं तीन साल से जम्मू-कश्मीर विधान सभा का सदस्य हूं। लेकिन तीन साल में जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया की डेढ़ साल ही हमको काम करने का मौका मिला। इन डेढ़ सालों में जब भी मैं मन्त्री जी के पास जाया करता था तो ये टीवी पर देखा करते थे कि उस स्टेट के इलेक्शन के नतीजे कब आएंगे और क्या नतीजे आएंगे? जब दूसरे मंन्त्री जी के पास जाते थे तो वह भी यही देखते थे और मेरे ख्याल से यह चक्र पिछले 60 सालों से चला आ रहा है। चाहे नेशनल पार्टीज़ है या रीजनल पार्टीज़ हैं, वे सब चुनाव के चक्र में फंसे रहते हैं और इससे काम पर भी असर पड़ता है और फाइनेंशियली भी असर पड़ता है। इसके अच्छे नतीजे तब निकलेंगे जब हम इसको अमलीजामा पहनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि यह मुल्क काफी रियासतों पर मुस्तमिल हैं। यहां सिक्योरटी

सिनेरियो भी है, यहां मौसम के मामलात भी हैं। कहां क्या फिट हो सकता है, किस मौसम में चुनाव करवाने हैं और कैसे करवाने है; वे सारे चैलेंजिज़ हैं। इस मुद्दे को लेकर जिसने यह आडिया दिया है, जो इस आडिया को आगे ले जाना चाहता है, यह नेक आडिया है, नीयत इसमें अच्छी है और मुझे उम्मीद है, इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद अच्छा डिसीज़न आना चाहिए। यह मुल्क के मुफाद में है, हमारी डवलपमेंट के मुफाद में है। इसके साथ-साथ हमें दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें इसी पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर हम क्रप्शन पर भी इस मुल्क में कंट्रोल लगा सकेंगे तो वह एक और अहम कदम होगा। शुक्रिया।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : इस विषय को समाप्ति की ओर अग्रसर करते हुए अब अंतिम व़क्ता हरियाणा से श्री चौधरी जाकिर हुसैन जी अपनी बात कहेंगे। यदि कोई रह गया है तो जब हम इसके बाद अगला विषय लेंगे उसके अन्दर भी वे एक-आधा मिनट में अपनी बात रख सकेंगे।

श्री चौधरी जाकिर हुसैन, सदस्य, हरियाणा विधान सभाः अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही काबिले ऐतराम लोकसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय डॉ राजीव बिन्दल जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, बहुत ही काबिले ऐतराम यहां पर मौजूद सभी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष साहिबान, माननीय विधायक साथियों और विभिन्न विधान सभाओं के अधिकारीगण।

सर, जैसे किसी बात को न दोहराते हुए मैं भी यही कहना चाहता हूं कि बहुत से लाभ हैं जो सभी ने गिनाए कि इकट्ठे चुनाव होने चाहिए। जो सोच चली है, हमने देखा कि जो लोक सभा स्पीकर साहिबा ने 'We For Development' का सेमीनार भी दिल्ली में कराया था, उससे भी देश में एक रोशनी गई और आज भी जो यह सेमीनार कराया है तथा जो आपने यहां हमारा इतना स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं व मुबारक़वाद भी देता हूं कि एक नई सोच इस मुल्क़ को मिलेगी। उसी दिशा में एक कदम इस बार जो इलैक्टोरल वोट्स की रिवीज़न हो रही है, उसमें लैटर के साथ यह आया है कि पंचायतों के चुनावों में भी यही इस्तेमाल होगा। नहीं तो पहले अलग-अलग वोटर लिस्ट होती थी। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि इस सारी प्रकिया में सबसे बड़ा एक अहम रोल

भारत के चुनाव आयोग का हो जाएगा। जैसा उनका अभी बयान आया कि हम इकट्ठे चुनाव नहीं करा सकते इसलिए जो चर्चा चली थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमें आने वाले वक्त में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों को भी, चाहे पार्लियामेंट की ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी बने, उसमें रिव्यु करना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट पर ही यह देखने की जिम्मेदारी आती है। आज जुडिशियल सर्विसेज में भी आप देख रहे हैं कि ऑल इण्डिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग कितनी ज़ोर से उठ रही है। इसी तरह चुनाव आयोग भी independent autonomous body के तौर पर काम करे। इसके लिए भी उसकी पावर्ज को रिव्यु किया जाए। इसके साथ-साथ मैं आपका खास तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस सदन में मैं आया हूं। वैसे तो मैं पहले भी कई बार एक विधायक के तौर पर इस सदन में आया हूं और मैं वर्ष 1991 से विधायक हूं। लेकिन आज मुझे यहां बोलने का मौका मिला। कभी इस सदन में मेरे दादा जी मरहूम चौधरी यासीन खान जो वर्ष 1926 में पंजाब में विधायक बने थे और वर्ष 1962 तक विधायक रहे और वर्ष 1962 में मेरे पिता जी मरहूम चौधरी तय्यब हुसैन पंजाब में मंत्री बने थे और वह इस सदन में बैठे। आज आपने मौका दिया। मैं इस महान सदन को और आपको प्रणाम करता हूं तथा आपका दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। जय हिन्द।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : आपने बहुत ही ऐतिहासिक घटना बताई है। हमारे सामने जो कम्प्यूटर्ज स्क्रीन्ज हैं, हम इसमें समय को भी देख सकते हैं।

दूसरा विषय हम इसके साथ ही प्रारम्भ करते हैं। माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी कुछ कहना चाहती हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा : मैं एक बात थोड़ा क्लीयर करना चाहूंगी कि we are not sitting here to decide anything. किसी के भाषण में आया, आप जैसा उचित समझें डिसाइड करें। एक बात तो है कि विषय महत्वपूर्ण है, चर्चा चल रही है और कई बार होता है कि हम अध्यक्ष लोग, मैं भी आपके साथ हो गई, हम बोल कुछ नहीं पाते हैं। हम कानून पास तो करा देते हैं, मगर हम उस समय कुछ नहीं बोल पाते हैं। हमारे भी कुछ विचार होंगे और न केवल हमारे विचार हैं, हमें एक्ट भी करना पड़ता है। विधान सभाओं को तो आजकल निर्णय लेने पड़ते हैं। चाहे वह बहुमत का निर्णय हो या चाहे वह

विधान सभा भंग करने का निर्णय हो। बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया हमें भी देखनी पड़ती है। इसलिए केवल एक चर्चा के लिए विषय है कि हम भी सोचना शुरू करें कि क्या हो सकता है? बहुत अच्छा जैसा किसी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया, हमारे लिए वह महत्वपूर्ण है, बाकी विषय तो महत्वपूर्ण हैं ही और इसलिए हम यहां कोई निर्णय लेने के लिए नहीं बैठे हैं। मगर हमारे अपने आपस के विचार क्या हैं? इतना ही उस दिशा में जाने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : हम दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ड्रग्ज के खतरे के ऊपर और नशामुक्त समाज बने; इसके ऊपर हम अपनी बात कहेंगे। जो भी सदस्य इसमें शुरुआत करना चाहें, वह अपनी बात रख सकते हैं।

श्री रणबीर सिंह पठानिया, माननीय सदस्य, जम्मू-काश्मीर विधान सभाः वैसे तो मैं श्री राकेश पठानिया जी की विधान सभा से हूं लेकिन मैं काफी वर्षों पहले जम्मू-काश्मीर आ गया। मैं इनसे बात कर रहा था कि मैं जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में तो बैठा परन्तु इस विधान सभा में भी बैठने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने कहा कि संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करने हैं तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आतंकवाद और महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक डिबेट चल रही है, इन दोनों विषयों से बड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा; एक राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय त्रासदी भी अगर आप इसको कहें, जो खासकर यह ड्रग्स की मैंनेस उत्तर भारत में है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। मैं पेशे से वकील भी हूं और मैंने एन0डी0पी0एस0 के कई बार केस डील भी किए हैं। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार-बार ऐसे मेंनडेटरी डायरेक्टिव्ज दे रहे हैं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि we are sleeping over those instructions कि किस तरीके के प्रोफेशनल लैब्ज आपको बनाने हैं, किस तरीके से फुलप्रूफ केस बनाने हैं क्योंकि इसमें कन्वीक्शन रेट बहुत कम है। न हम ऐसे लोगों के एंट्री रूट्स को प्लग कर पा रहे हैं और न ही हमारे पास वह चैकइन मैकेनिज्म है तथा जो नारकोटिक्स की क्वांटिटी हमने इसमें देखनी है, वह मैकेनिज्म भी हमारे पास नहीं है। पूरे उत्तरी भारत के लिए अगर मैं फेल्ड स्टेट न बोलूं तो more or less we are behaving as a less successful state. इसलिए शीघ्रातिशीघ्र यहां से खासकर उत्तर भारत के लिए एक कन्सेंसस जाना चाहिए। मैं शायद

जम्मू-कश्मीर विधान सभा का सैकिण्ड यंगेस्ट विधायक हूं और मेरे देखते-देखते, हालांकि मेरी अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मैंने पांच-सात साल में देखा है कि एकदम हर जगह यह क्या हो गया है। चाहे गांव हो या शहर हो, सब जगह ड्रग्स ने पांव पसार दिए हैं इसलिए इसके लिए एक नेशनल कन्सेंसस बनना चाहिए और इसे कानून में किस तरीके से तरमीम करना है, मुझे लगता है कि इसमें विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि रिफॉर्म्ज के क्या लीगल मैकेनिज्म इसमें हम ले पाएं जिससे यह त्रासदी रुक पाए। यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और इसमें हमें एडमिशन करने से भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि सरकार की एजेंसीज और सरकार के सिस्टम पर जब तक हम नहीं सोचेंगे कि पुलिस उसमें किस तरीके से स्टेट ऑफ दि आर्ट चलेगी, किस प्रोफेशनल तरीके से इसमें कन्विक्शन करेंगे, उनको पकड़ेंगे और उनको ट्रैक करेंगे। आतंकवाद के लिए आपने एक नेशनल ग्रिड तो बनाया है that is NIA (National Investigating Agency). मुझे लगता है कि ड्रग्स मेनेंस को भी काउंटर करने के लिए एक बिल्कुल प्रोफेशनल, टैक्निकल और एक्सक्लूसिव तरीके से हम डील न करें और फिर हरेक विधान सभा और लोकसभा तो है ही। इसलिए उत्तर भारत की विधान सभाएं इसके लिए एक ऐक्शन प्लान बनाएं। इस एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट में जैसे हमारे जम्मू-कश्मीर या हमारी विधान सभाओं में किस तरीके के प्रावधान हम कर पाएं या पुलिसिंग में किस तरीके के हम रिफॉर्म्ज ला पाएं, मुझे लगता है कि आज तो सिर्फ एक कन्सेंसस इस पर बनाएं और कन्सेंसस बनाकर इसमें जल्दी-से-जल्दी एक वर्कशॉप करें और इसमें एक फैसला लें। मैंने जहां से शुरु किया था वहीं पर आता हूं कि यह एक ऐसी त्रासदी है, आपदा है, परेशानी और बीमारी है जो दिन-प्रति-दिन ग्रस्त करके, जैसे कहते हैं कि इसका ग्रोथ भी कैंसरस है तथा यह दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है और हम इसको कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम इस पर डिबेट, बात और शोध कर रहे हैं लेकिन यह बीमारी लगातार बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : श्री रनबीर पठानिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से कम समय में अपनी बात रखी है। अब गुजरात के माननीय विधायक श्री दुष्यन्त पटेल जी चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Dushyantbhai Rajnikant Patel, Member, Gujarat Vidhan Sabha : Respected Hon'ble Speaker, Smt. Sumitra Mahajan Ji.

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : कृपया बिना सम्बोधन के बात जारी रखें।

Shri Dushyantbhai Rajnikant Patel, Member, Gujarat Vidhan Sabha : I strongly believe that discussion is an exchange of knowledge and coming to the point that the drug abuse are growing menace, यह बहुत अच्छा विषय यहां पर लिया है परन्तु आज हम देखते हैं कि ड्रग्ज को फैशन के साथ भी जोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि 'ई-सिगार' आ गई है और इस सिगार में भी ड्रग्स को मिलाया जाता है। अब सिगार loaded with drugs, वह भी आज मिलना शुरू हो गई है। मोर और लैस ये फैशन को भी साथ जोड़ देते हैं। जितने कॉलेज में, मैं शब्द तो यूज नहीं करूंगा लेकिन जो बाहुबली हैं, जो ड्रग्स के साथ जुड़े हैं वे पूरी गैंग बनाते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि उसमें लड़कियां भी शामिल हो गई हैं और यह बहुत ही गम्भीर स्वरूप आगे जाकर धारण कर रही है। फैशन के तौर पर दिल्ली में देखेंगे तो वहां पर कई "हुक्का बार" आ गए हैं हालांकि गुजरात में तो इन्हें बेन कर दिया है। अगर उनके अंदर भी आप देखेंगे तो तबाकू के साथ-साथ उसमें ड्रग्स भी मिलाया जाता है। काफी केसिज पढ़े भी है कि जो ड्रग्ज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वे केमिकल अफोर्ड करने लग गए हैं। केमिकल के स्वरूप में जो नशा होता है वह भी आज बहुत फैलने लगा है। अभी-अभी हमारे क्षेत्र में, मैं एक इण्डस्ट्रियल प्लेस भरूच से आता हूं, एशिया की सबसे बड़ी इण्डस्ट्रीज़ वहां पर है, केमिकल की आड़ में उन्होंने एक ड्रग भी वहां पर बनाया था जिससे नशा होता है। वह भी वहां पर पकड़ा गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को बड़ी गम्भीरता से लिया है। संक्षेप में कहना चाहूंगा कि लॉ चेंज करना पड़ेगा जैसे अभी एक माननीय विधायक ने बताया कि जो पुलिस लॉ है उसको स्ट्रैंथन करना पड़ेगा। जो जामिन आराम से मिल जाते हैं उस लॉ को भी गम्भीर रूप से लेना पड़ेगा, जैसा टैरेरिस्ट एक्ट है, वैसा यह एक्ट भी नया बनाना पड़ेगा। । हमारे यहां पर तो प्रदेश में दारुबंदी है और अभी तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट कायदे कर दिए हैं तथा इसमें life imprisonment का भी कायदा बनाना पड़ेगा। टी.वी. में एडवरटीज़मैंट देनी पड़ेगी कि बच्चे इससे दूर रहें। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि टाटा मैमोरियल केंसर हॉस्पिटल, मुम्बई में एक ही महीने में 40 हजार केंसर के पेशैंट्स आए। जिस तेजी से केंसर बढ़ता है, देखा गया कि उसमें सबसे ज्यादा युवा थे और युवा के अन्दर भी टोबेको और ड्रग सबसे ज्यादा थे। यह विषय भी बहुत अच्छा है । मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस विषय को आपने

यहां पर रखा है। इसके आगे हर स्टेट में यह डिस्कशन पहुंचे , आपका रिजल्ट पहुंचे, यह भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : मुझे एकदम स्मरण आया कि कुछ ही दिन पहले हमारी विधान सभा में इस विषय पर बहुत लम्बी चर्चा हुई थी और माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने उसका उत्तर दिया। इन्होंने अनेक राज्यों को इकट्ठा करके इस विषय में शुरूआत भी की है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इस विषय के ऊपर सभी अपनी बात रख रहे हैं। अब श्री राकेश पठानिया, माननीय सदस्य, हिमाचल प्रदेश।

श्री राकेश पठानिया, सदस्य, हि0 प्र0 विधान सभा : माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि संक्षेप में बोलें। अध्यक्ष जी, जो विषय आपने यहां पर रखा है इसमें बेसिक बात यह है कि इसके इल-इफैक्ट्स क्या हैं और सॉल्यूशन्ज़ क्या हैं? हिमाचल प्रदेश में पहले यह बीमारी नहीं थी। आज हिमाचल प्रदेश भी इससे बुरी तरह से ग्रस्त है। Specially I come from a border area और बॉर्डर एरिया में पंजाब के साथ जो हमारा क्षेत्र लगता है, इतना बुरा असर हमें उस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इल इफैक्ट की हम बात कर रहे हैं। हमें कुछ डॉक्टर्ज़ के साथ बात करने का मौका मिला and they explained me that there are neurotransmitters (which is available in a human body) जो हमारे नर्व सिस्टम को कमांड करता है। एक केमिकल ड्रग्ज़ का जो केमिकल इफैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है because of that they start behaving as natural neurotransmitters. नौज़वान जब उसका प्रयोग करता है तो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी सोच व दिशा बदल जाती है। मुझे तो वह बात भी याद आ रही है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायक दल की बैठक में कहा था कि एक चिट्टा रिफाइंड हेरोइन अगर पांच बार किसी की जीभ के साथ लग जाए तो उस नौज़वान को दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। जो इल इफैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये इतने गम्भीर हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ी का नाश होने वाला है। We have to declare a war against this issue. इस इशु के ऊपर पूरे का पूरा युद्ध छेड़ना पड़ेगा और अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, मैं बहुत कम समय लूंगा, एक वॉर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा स्कूल लैवल से, सोशल लैवल से और पारिवारिक तौर से। केवल हम विधायकों को नहीं, it has to go down. इसके लिए हमें इस तरह का युद्ध छेड़ना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट केम्पेन्ज़

चलाने पड़ेंगे। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी बहुत जल्द एक खेल परिषद हिमाचल प्रदेश में लाँच करने जा रहे हैं। जहां हम हर गांव में बच्चों को खेल की सुविधा देने जा रहे हैं। मॉडर्न स्टेडियम इत्यादि सब चीज़ें उसमें लाने वाले हैं। There is a phrase that 'the empty mind is a devil's workshop'. जब तक आप युवाओं को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. यह जो हमारे नौजवानों का खाली दिमाग है, इसको जब तक हम काम पर नहीं लगायेंगे तब तक हम इस मिनेस को नहीं रोक सकते। इसके इल-इफैक्ट्स और सॉल्यूशन्ज़ के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आज बड़ी लम्बी चर्चा करने की ज़रूरत है बल्कि कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा और उत्तर भारत बहुत बुरी तरह से इसकी लपेट में आ चुका है, जितना इस विषय को गम्भीरता से लेंगे उतने ही इसके अच्छे परिणाम होंगे। आपने इस विषय को यहां लाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : मुझे लगता है कि आपने भी जम्मू-कश्मीर के पठानिया जी के साथ में साथ मिलाया है। दोनों पठानिया जी चाहते हैं कि रैजोल्यूशन पास किया जाए। अब माननीय अध्यक्ष हरियाणा, श्री कंवर पाल जी अपनी बात रखेंगे।

श्री कंवर पाल, माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभाः आदरणीय अध्यक्षा लोकसभा, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, आज जो ड्रग्ज़ का प्रस्ताव आया है इस पर जैसे यहां कहा गया कि यह केवल चर्चा है, कोई प्रस्ताव पास नहीं करने वाले और इससे कोई निर्णय नहीं होने वाला, लेकिन हम इसमें बहुत योगदान ज़रूर दे सकते हैं। वह योगदान यह है कि जब सदन में चर्चा होती है तो यदि इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है, अगर हम उसकी मंजूरी देकर चर्चा करवाएं तो यह हमारा सहयोग उसमें ज़रूर हो ही सकता है। पिछली बार मैंने स्पेशल इस विषय पर प्रस्ताव लगवाया था। जो हमारे एक सीनियर विधायक थे, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया नहीं था लेकिन मैंने उनसे कह कर इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगवाया था कि यह बड़ी गम्भीर समस्या है। वे विषय बहुत लगाते थे, मैंने उनको फोन किया कि यह बड़ा गम्भीर विषय है आप इस विषय को विधान सभा में रखो, मैं इस पर पूरी चर्चा करवाऊंगा। तो मैंने उस विषय को सदन में चर्चा हेतु रखा। आज यह बीमारी बढ़ती जा रही है, अगर हम किसी ऐसे परिवार से मिलते हैं जिसका बच्चा इस प्रकार का नशा करता है तो फिर पता चलता है कि यह कितना बड़ा अपराध है। पूरा परिवार यह सोचता है कि उनका परिवार ही खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति उनकी बन

जाती है। यह नशे की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। मेरा इसमें सुझाव है कि जब किसी के पास से ड्रग पकड़ी जायेगी तब वह अपराधी होगा। लेकिन आज तो ऐसा विज्ञान है कि अगर मैं कोई नशा करता हूं तो मेरा कहीं ब्लड टैस्ट करो तो आपके पास साफ रिजल्ट आ जायेंगे कि मैं नशा करता हूं। अगर ऐसा डाउट होता है तो बजाय उसको सीधा पकड़ने के उस पूरे गांव या एरिया का ब्लड टैस्ट करवा कर उनके खिलाफ ऐक्शन ले सकते हैं। चूंकि यह एक बहुत बड़ा माफिया है, इससे हमारा सारा-का-सारा सिस्टम खराब हो गया है चाहे हमारे अधिकारी भी हैं या कुछ भी हैं उस लालच में सब फंसे हैं। आज इस पर बहुत सख्ती के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत है नहीं तो मेरे ख्याल से जो डवलपमैंट की बात बड़े जोर-शोर से चल रही है और सारी डवलपमैंट हो भी रही है, सारा कुछ हो रहा है तो मैं समझता हूं कि ये सारी-की-सारी चीज़ें धरी रह जायेंगी, अगर हम इसको रोक नहीं सके। आज इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। यहां पर कानून और नैतिकता की बात भी कही गई। खेलों की तरफ अगर हम बढ़ावा दें तो हम युवाओं को नशे की लत से बचा सकते हैं। हालांकि हमारे हरियाणा के मुख्य मंत्री इस विषय में काफी गम्भीर हैं और उन्होंने अभी सात प्रदेशों की बैठक भी की है। उसका कार्यालय भी उन्होंने पंचकूला में बनाया और सभी माननीय मुख्य मंत्री नशे के विषय में चिन्तित हैं। यदि हम इस विषय पर निर्णय लें तो बहुत ही अच्छा निर्णय सभी सरकारों के लिए होगा, जनहित में होगा, धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : बहुत अच्छा। श्री गीता जी, पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, कृपया दो मिनट में अपनी बात कहेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, हरियाणा विधान सभा : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, बहुत ही गम्भीर विषय है और बहुत ही गम्भीरता से इस पर चर्चा हो रही है। हमारा देश डैमोक्रेटिक वैल्फेयर कंट्री है and it is the duty and responsibility of the Government to look into the matter of the human resource. जो आज हमारा ह्युमन रिसोर्स, विशेष तौर से भारत का यंगिस्तान है, युवा वर्ग है वह ड्रग्ज़ की चपेट में बहुत ज्यादा आ गया है। इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसके युवाओं को इस ड्रग्ज़ ने पूरा बर्बाद कर दिया, जो कभी तरक्की की राह में आगे हुआ करते थे। जैसे कि यहां पर चर्चा हुई कि बहुत सारे कानून हैं, एन0डी0पी0एस0 कानून है, ड्रग्ज़ अथोरिटीज़ हैं, मतलब यह कि ऐक्ट/कानून तो है so there is a need to take the action. हमें उन

कानूनों को बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमैंट करने की आवश्यकता है। बहुत सारी अथोरिटीज़ ऐसी हैं जोकि इनको कंट्रोल करती हैं और देखने में आता है कि वे क्रप्शन में बहुत ज्यादा संलिप्त हो जाती हैं तथा जो हमारा ध्येय उसको रोकना है उसमें हम डिफीट हो जाते हैं। आज हमारे लिए सबसे जरूरी है कि न केवल हमारा युवा बल्कि उसके साथ-साथ उसका परिवार व पूरा समाज और परिवार में सबसे ज्यादा उसकी महिला, बहन, बेटियां सफरर हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो शिक्षा संस्थान है, हम उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ध्यान दें। आज हमने कहा कि फास्ट फूड एजूकेशन इंस्टिच्यूशन्ज़ में अवैध घोषित करेंगे क्योंकि युवाओं की सेहत के लिए वह खराब हैं। लेकिन इसके साथ-साथ सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है, ड्रग्ज बैन करने के लिए हम कहते तो जरूर है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर जितने हमारे शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वह हमारे स्कूल, कॉलेजिज, आई0आई0टीज0 या यूनिवर्सिटिज़ हैं, हम उनमें सभी विद्यार्थियों के रेग्यूलर मैडिकल कार्ड बनाएं। हमने स्टेट ऑफ हरियाणा में सभी विद्यार्थियों के मेडिकल कार्ड बनाने शुरू भी किए थे। यदि हम उनका छः महीने या साल में रेग्यूलर मैडिकल चैकअप करेंगे तो बहुत से युवा जो ड्रग्ज़ ले रहे हैं वे ड्रग्ज लेना बन्द कर देंगे और साथ में वे आईडैंटिफाई भी हो जाएंगे। शिक्षा संस्थानों में युवा में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स है। उसमें देखा गया है कि जो लड़कियों के हॉस्टल्ज हैं उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्ज मिल रहे हैं। इसलिए ड्रग्ज़ हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है। हमारा यूथ ही ड्रग्ज़ नहीं ले रहा है, बल्कि विशेषतौर से जो ड्राईवर्ज़ हैं, वे ड्रग्ज लेने के बाद ड्राइविंग करते हैं। वे न केवल अपनी जान के दुश्मन बनते हैं बल्कि, पूरी रोड़ सेफ्टी पर भी प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। वे कई जगह दुर्घटना करते चले जाते हैं और दूसरों की लाइफ को भी उनकी ही व़जह से खतरा होता है। इसके लिए कानून तो अभी भी है कि हम उनका लाइसेंस कैंसल कर सकते हैं लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। कुछ कम उम्र के ड्राइवर्ज हैं जो बड़े-बड़े डम्पर्ज़ लेकर चलते हैं और वे बहुत जगह एक्सिडेंट्स करते हैं लेकिन वे फिर भी छूट जाते हैं। इसलिए हमारे जो कानून बने हुए हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी पूरे प्रयास होने चाहिए। हमारा युवा जो देश की आर्थिक तरक्की में योगदान दे सकता है, अगर वह ऐसी बुरी आदतों में पड़ जाएगा और योगदान नहीं दे पाएगा तो हमारा देश पीछे चला जाएगा। यहां पर हम सब चुने हुए नुमाईंदें आये हुए हैं और आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा भी की है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के भविष्य, युवाओं को सुरक्षित करके देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करें। इसके

साथ-साथ हमारा जो पढ़ा-लिखा यूथ है, यदि वह डिप्रेशन के कारण इस तरह से ड्रग्ज लेना आरम्भ कर देता है तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएं ताकि वे इन बुरी आदतों से दूर रहें। आपने समय दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम जम्मू-कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल; सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब मैं अंतिम दो व़क्ताओं को बोलने की इजाज़त दूंगा। माननीय अध्यक्ष, गुजरात और तत्पश्चात् माननीय सदस्य श्री घनश्याम दास जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र सूर्यप्रसाद त्रिवेदी, अध्यक्ष, गुजरात विधान सभा : आदरणीय मंचासन, सभी सदग्रस्त, ईश्वर ने हम सबको बहुत अच्छी तंदरुस्ती दी है लेकिन हम उसे बिगाड़ रहे हैं। देश का 65 प्रतिशत युवा वर्ग 25 साल से 35 साल के अंदर-अंदर है। इसलिए हम युवा देश की श्रेणी में आते हैं। हमें इस विषय को बहुत गहनता से लेना चाहिए। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं कि 2017 में एक साल के अंदर 5,56,400 लोग सिर्फ कैंसर से गुजर गये हैं और प्रति वर्ष 7 लाख कैंसर पीड़ित उपचाराधीन है। इसका कारण ड्रग्ज न होते हुए हम इसका कारण तम्बाकू, बीड़ी व सीगरेट मानते हैं और इसकी लत बच्चों को लग चुकी है। हमारे कई बुजुर्ग घर में इनको पीते हैं, इससे बच्चों को लत लग जाती है। इनको सुधारने के लिए हमें किस दिशा में जाना चाहिए? आदरणीय श्री मोदी जी जब तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, तब मैं खेल मंत्री था और उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर जोर दिया। स्पोर्ट्स के अंदर हमने 35 लाख बच्चे शामिल किए और उसको 'खेल महाकुम्भ' नाम दिया। उसके बाद हमने दूसरा 'कला महाकुम्भ' चालू किया। उसमें इसी साल 4 लाख लोग भाग ले रहे हैं और वे खेल स्पर्द्धा में हिस्सा ले रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा उपाय हैं जो हमने काफी सालों से शुरू किया है। दूसरा, यह आतंकवाद प्रोत्साहित है, इसलिए हमारे जो पड़ोस के राज्य हैं, वहां से सबसे ज्यादा ड्रग्ज़ यहां पर आ रही हैं। उसके लिए हमें चिंतित होना चाहिए। तीसरा, इसका सबसे बड़ा उपाय हैं जो बिगड़ चुके हैं, वे बिगड़ चुके हैं और इसके लिए हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मेरे प्रदेश में स्कूल का प्रवेश उत्सव 15-17 सालों से मनाया जा रहा है। इसमें सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी,

कलैक्टर व आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 सभी आते हैं। जब स्कूल शुरू ही होते हैं तब हम वहां जाते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जब हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपके घर में कोई बीड़ी/सिगरेट पीता है तब बच्चे हाथ उठाते हैं। आपका कोई बड़ा भाई बीड़ी/सिगरेट पीता है तो भी हाथ उठाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि तम्बाकू से क्या होता है तब वे बताते हैं कि इसके सेवन से कैंसर होता है। जब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या बीड़ी/सिगरेट पीना चाहिए तो वे कहते हैं कि बीड़ी/सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मेरे अनुसार प्राईमरी से ले करके 10-11 साल के बच्चों को इसके लिए इतना सुगठित शिक्षण देना चाहिए कि वे कभी भी नार्कोटिक्स, ड्रग्ज़ या किसी भी अन्य चीज़ का सेवन न करें। इसके लिए शिक्षण बहुत बड़ा काम करेगा। जब मैं बर्मिंघम गया था और वहां पर मॉल से कुछ खरीद कर बाहर निकल रहा था तो कुछ एन0जी0ओज़0 के लोग भी वहां पर खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सिगरेट पीते हैं? मैंने कहा कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि अगर कोई सिगरेट पीता है तो हम उसको समझाते हैं कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसके सेवन से कैंसर होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश को ड्रग्ज़ और आतंकवाद से बचाना है। इन दोनों की जड़ एक ही जगह पर है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : अब श्री घनश्याम दास, माननीय सदस्य हरियाणा विधान सभा चर्चा में भाग लेंगे।

श्री घनश्याम दास, माननीय सदस्य, हरियाणा विधान सभाः मित्रो, ड्रग्ज़ का विषय बहुत गम्भीर है। अभी हरियाणा में सात प्रदेशों के माननीय मुख्य मंत्री आये थे और वहां इस विषय पर चर्चा हुई थी। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इसके विरुद्ध जो हमने युद्ध लड़ना है, उसकी गति हमें बहुत बढ़ानी होगी। क्योंकि जिस गति से ड्रग माफिया अपना कारोबार बढ़ा रहा है, उससे तेज़ गति से अगर हम चलेंगे तो इसको रोक पायेंगे अन्यथा नहीं रोक पायेंगे। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अगर हमें कोई भी अच्छी चीज़ बनानी है तो उसके लिए रॉ-मैटीरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि रॉ-मैटीरियल अच्छा होगा तो वस्तु अच्छी बनेगी। आज देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत युवाओं की है। यदि वे पथ-भ्रष्ट हो गये, ड्रग्ज़ के चंगुल में फंसते चले गये और जिस गति से वे फंस रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस देश या मातृभूमि को हम आगे बढ़ाने या विकसित करने का

प्रयास कर रहे हैं और जिसके बारे में इतनी चिन्ता कर रहे हैं, उसको भी धक्का लग सकता है। इसलिए युवाओं को इस बारे में शिक्षित करना बहुत आवश्यक है।

शिक्षा की नीति या पाठयक्रम में इस विषय को जरूर शामिल किया जाना चाहिए और इस विषय के प्रति बच्चों को जागरुक करना चाहिए कि ड्रग्ज़ के सेवन से हम किस पतन की ओर आगे बढ़ जायेंगे तथा हमने देश के लिए जो काम करना है उसको नहीं कर पायेंगे। दूसरा, बच्चों, विद्यार्थियों और युवाओं को खेल के माध्यम से जागरुक करने पर भी चर्चा हो चुकी है। हरियाणा में हर नगर में महीने के दो रविवार "राहगीरी" कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें हमारा यही उद्देश्य है कि युवा अधिक संख्या में आ करके भाग लें और देश के प्रति सोचें। कई बार मेडिकल स्टोर्ज़ पर भी नशे का कारोबार किया जाता है। हमने कई बार देखा है कि कहीं पर अगर कोई लाइब्रेरी, वाचनालय या कई अन्य स्थानों पर जहां विद्यार्थी आ करके बैठते हैं, वहां पर आपको ड्रग्ज़ के रैपर बहुतायत में मिल जायेंगे। इस विषय पर भी चिन्ता करने की आवश्यकता है। इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी एजुकेट करने की आवश्यकता है कि देश के प्रति इनका क्या कर्त्तव्य है और ड्रग्ज़ के कारोबार को कैसे रोका जाए, ये सब इनको बताना चाहिए। तब हमें ड्रग्ज़ के धंधे को रोकने में मदद मिल सकती है। इसलिए ऑल राउंड एफर्ट्स यानी सभी तरफ से इसके ऊपर हमला करना और गति बढ़ाना तथा इसको रोकना आज देश हित में है।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : बहुत सार्थक चर्चा इस विषय पर हुई और अंत में माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश और माननीय अध्यक्ष लोकसभा अपनी बात रखेंगी। इन दोनों विषयों के ऊपर अपना संदेश चंद शब्दों में देंगे। इससे पूर्व आज का एक अति महत्वपूर्ण विषय जो इसके आगे हैं वह ई-विधान का है। ई-विधान हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से चल रहा है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के आई.टी. इंचार्ज श्री धर्मेश शर्मा जी, निदेशक (आई.टी.) अभी प्रेजेंटेशन देंगे। यह सभी राज्यों के लिए अति उपयोगी होगा अतः जो भी नोट करना हो अवश्य नोट करें।

श्री धर्मेश शर्मा, निदेशक (आई.टी.) : माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा, माननीय नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सभी माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विधायक व अन्य राज्य से आए सचिव महोदय। मैं आप सब से माननीय सदन से ई-विधान की प्रस्तुति के लिए अनुमति चाहता हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि यह कार्य माननीय अध्यक्ष हि0 प्र0 विधान सभा ने मुझे सौंपा है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा देश की प्रथम विधान सभा है जो ई-विधान द्वारा सदन का संचालन पेपरलेस तरीके से करती है। न केवल सदन, House Committees का कार्य भी Paperless तरीके से किया जाता है। इसके इलावा e-Constituency Management System के माध्यम से माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सभी कार्यों एवं उनके द्वारा विभिन्न विभागों को भेजे गए पत्रों की समीक्षा कर सकते हैं।

अभी तक 22 से अधिक राज्य यहां आकर ई-विधान प्रणाली का अध्ययन कर चुके हैं और ई-विधान को अपने राज्य में लागू करने के लिये बहुत प्रेरित हैं। Parliament के प्रतिनिधि भी इसका अध्ययन कर चुके हैं । न केवल भारत वर्ष से बल्कि अन्य देशों के प्रतिनिधि भी ई-विधान का अध्ययन हिमाचल प्रदेश पहुंचकर कर चुके हैं जैसे मलेशिया पार्लियमेंट, अफगानिस्तान पार्लियमेंट एवं तिब्बतीयन पार्लियमेंट।

इससे पहले मैं यह बताऊं कि इस सदन में पेपरलेस कार्यवाही का संचालन कैसे किया जाता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सदन में Touch screen devices किसी भी आकार के हों Display Panels लगाने से सदन की कार्यवाही को पेपरलेस नहीं किया जा सकता। सदन की कार्यवाही को हम पेपरलेस तभी कर सकते हैं अगर यह Process Online है।

1. कार्यसूची(List of Business)

2. तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर।

3. Notices जो माननीय सदस्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत देते हैं उनका Reply, समिति के प्रतिवेदन (Committee Reports), Bills, Paper to be laid, recording verbatim during proceeding of the House.

विधान सभा सत्र की Notification के बाद माननीय विधायक अपने प्रश्न विधान सभा को तीन माध्यम से देते हैं। अपने Mobile के माध्यम से e-vidhan Mobile App का प्रयोग करके दूसरा ई-विधान website के माध्यम से। इन दोनों माध्यमों से कहीं से भी किसी भी समय प्रश्न एवं Notices भेज सकते हैं। तीसरा विधान सभा के e-facilitation centre के द्वारा प्रश्न एवं नोटिसिज की Hard Copy को Online System में परिवर्तित किया जाता है।

माननीय विधायकों द्वारा भेजे गए सभी प्रश्नों एवं Notices का विधान सभा सचिवालय द्वारा online process किया जाता है। online Processing के दौरान Question & Notices की Bracketing & Clubbing, Proofreading, Fixing date सारा कार्य online Process से किया जाता है।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : यहां पर स्क्रीन्स लगी हैं कृपया आप उस पर देख सकते हैं। ये सभी चीजें डिसप्ले हो रही हैं।

श्री धर्मेश शर्मा, निदेशक (आई.टी.) : आप सभी डिसप्ले पेनल्स पर देख सकते हैं। मैं जो-जो बोल रहा हूं वह सामने स्क्रीन पर डिसप्ले हो रहा है। प्रश्नों एवं Notices को सभी संबंधित विभागों को online तरीके से भेजा जाता है। सभी विभागों को ई-विधान System का online Dash Board दिया गया है जिससे 54 Departments, 84 HOD's & Secretaries को विधान सभा से Connect किया गया है। सरकारी विभाग प्रश्नों के उत्तर, Notices के उत्तर, Bills, Paper to be Laid or House Committee के उत्तरों को online विधान सभा सचिवालय को भेजते हैं।

इसके अतिरिक्त House Committee की कार्यवाही को पेपरलेस करने के लिए Audit Paras, Assurances, Questionnaire एवं उनके उत्तरों की कार्यवाही का online होना भी जरूरी है। Committee meeting का Agenda और दस्तावेज़ों का माननीय सदस्य online review करते हैं। Committee Reports को online तरीके से House के लिए भेजा जाता है।

इस तरह सारे Process को Online करने के बाद ही सदन की कार्यवाही को Paperless तरीके से चलाया जाता है। इस तरह ई-विधान का कार्य पूर्ण होता है। अगस्त, 2014 से अभी तक 14 सत्र ई-विधान प्रणाली से सफलतापूर्वक हिमाचल में सम्पन्न हुए है।

सदन में आने के बाद माननीय सदस्य अपने टेबल पर लगे हुए Biometric Device को Touch करतें हैं, इसे आप देख सकते हैं जो नीली सी लाइट जली हुई है। हिमाचल प्रदेश के माननीय विधायकों का बायो-मैट्रिक यहां चल सकता है, आपका नहीं है। मैं आपसे इसको चलाने के बारे में बात करूंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा कि यह कैसे होगा। जैसे ही माननीय सदस्य बायो-मैट्रिक डिवाइस को टच करते हैं, उस दिन की e-Book Touch Screen में खुल जाती है। इस e-Book में उस दिन की कार्यसूची और तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के विभागों द्वारा भेजे गए सभी उत्तर उपलब्ध होते हैं जिसे देख कर उस दिन की कार्यवाही को Paper less तरीके से चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य उस दिन की कार्यवाही को Mobile से भी देख सकते हैं और Paper less तरीके से काम कर सकते हैं। सभी माननीय सदस्य उस दिन के प्रश्नों के उत्तर Reply Button को Touch करके देख सकते हैं। चाहे वह मोबाइल है या उनके आगे स्क्रीन लगी है उस पर इस रिप्लाई बटन को टच करेंगे और उस प्रश्न का रिप्लाई आ जाता है। इस प्रेजेंटेशन के बाद एक प्रश्न के ऊपर मैं आपसे प्रेक्टिकल भी करवाऊंगा। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री उस प्रश्न से संबंधित अधिक जानकारी Supplementary Button touch करके जान सकते हैं। इस तरह से विभाग यदि मंत्री जी को अन्य कोई जानकारी देता है तो वह जानकारी भी माननीय मंत्री जी के मोबाइल पर उपलब्ध रहती है और जो Supplementary प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने में सहायता करते हैं।

सदन में चल रही कार्यवाही का समय प्रबन्धन (Time management) भी e-vidhan software से ही होता है जिसमें कौन से माननीय सदस्य कितना समय ले रहे हैं, किस event में कितना समय लग रहा है और Party wise कितना समय लग रहा है उसकी जानकारी भी रहती है। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष और सचिव विधान सभा आपस में e-Notes भेजते हैं। जो touch screen माननीय सदस्यों के टेबल पर फिक्स है, उसे सदन की कार्यवाही के दौरान जरूरत के अनुसार Multiple Purposes के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह Touch Screen e-Voting के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका एक Live Demo अभी करके दिखाएगें। इसके लिए ई-विधान staff इस

Process को पूरा करने के लिए आपकी सहायता करेगा। यह Staff सत्र के दौरान सदन में माननीय सदस्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

Voting Start - Touch Screen के ऊपर एक window दिखाई देगी, यहां से Biometric Device को Touch करने के बाद या Password enter करने के बाद Voting Process में पहुंचा जाता है। इस Dummy Session के लिए आपको Password enter करना होगा जिसको सभी के लिए एक जैसा रखा गया है और वह 1,2,3 है। अभी इस माननीय सदन के सदस्य नहीं बैठे हैं इसलिए आप उनके स्थान पर 1,2,3 Password डाल सकते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। Password डालने के बाद "Continue To" button touch करें। इसको डालने के बाद जो कांन्टीन्यू यलो कलर का है, इसको आप टच करें। यह वोटिंग डमी है, इसका रिकॉर्ड से कोई संबंध नहीं है। वोटिंग विन्डो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी जहां आप यस, नो, ऐब्स टच कर सकते हैं। यहां से जो भी ऑप्शन है, हां, न या जो भी आपको करना है, वह आप टच कीजिए। आपका वोट रिकॉर्ड हो जाएगा। किसी एक ऑप्शन को टच करें। अगर सभी ने टच कर दिया है, तो वोटिंग खत्म। इसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर भी तुरन्त उपलब्ध होगा और यह रिकॉर्ड हो गया। यह लाईव डेमो आपको करके दिखाया गया है।

इसके अलावा विधान सभा के लिए रिपोर्ट्ज ई-विधान सिस्टम के माध्यम से सदन की कार्यवाही को तैयार करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्ज के लिए हाईटैक मीडिया सेन्टर विधान सभा में है। माननीय सदस्य एवं विभिन्न विभागों को ई-विधान की ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए हाईटैक ट्रेनिंग सेन्टर भी विधान सभा में है जहां निरन्तर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम चलता रहता है।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : धर्मेश जी, प्रश्न करवाओ। आप अपनी-अपनी स्क्रीन पर एक डमी प्रश्न करवा रहे हैं।

श्री धर्मेश शर्मा, निदेशक (आई.टी.): सदन में प्रश्नों के उत्तर बिना कागज इस्तेमाल किए कैसे देखे जाते हैं और माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पेपरलैस तरीके से कैसे पूछे जाते हैं, मैं उसका एक उदाहरण यहां पर दूंगा। इसमें प्रश्न संख्या 779 है जोकि पिछले सत्र के अन्तिम दिन का माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रश्न है। यदि आपके पास बुक पहले से खुली है, तो ठीक है। यदि नहीं है तो ई-विधान स्टाफ आपकी सहायता करेगा। इन्डैक्स में

प्रश्न संख्या 779 पर जाएं, यह प्रश्न जनमंच के बारे में है। इस रेड बटन को टच करके इसका उत्तर आप देखें। इसमें बहुत सारी ऑप्शन्ज हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : धर्मेश जी, थोड़ा धीरे बोलिए। प्रश्न सं. 779 है।

श्री धर्मेश शर्मा, निदेशक (आई.टी.) : ई-विधान स्टाफ इसमें सहायता करेगा। अगर सभी ने इसका उत्तर पढ़ लिया है तो माननीय मुख्य मंत्री जी से इस पर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कर सकते हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : जो इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें, माननीय मुख्य मंत्री जी उसके लिए तैयार हैं। श्रीमती गीता भुक्कल जी, सदस्य हरियाणा विधान सभा कुछ पूछना चाहती हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल, माननीय सदस्य, हरियाणा विधान सभा : इसमें लिखा है कि जनहित की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका जनमंच कार्यक्रम के तहत किस तरह से निपटारा हुआ है? तो इसमें जो शिकायतें हुई हैं, उनको आप फेस-टू-फेस लेते हैं या वे भी ऑनलाईन हैं और उनका उत्तर भी ऑनलाईन होता है?

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद 'जनमंच कार्यक्रम' शुरू किया है जिसमें लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जाता है। इस कार्यक्रम को हम एक महीना पहले घोषित करते हैं और अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमारे चार जनमंच के कार्यक्रम हुए हैं। इन चारों जनमंच के कार्यक्रमों के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और हमारे ग्यारह मंत्री हैं तथा मुझे मिलाकर 12 बनते हैं। जनमंच कार्यक्रम के लिए एक जिले में एक स्थान चयनित किया जाता है जिसमें एक मंत्री जाते हैं और जहां मंत्री जाएंगे उस स्थान पर हम एक कलस्टर एरिया डिसाइड करते हैं जिसमें 15 से 20 पंचायतें लेते हैं। उस जनमंच कार्यक्रम में पूरे विधान सभा क्षेत्र से, कहीं से भी, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या बता सकता है लेकिन 15-20 पंचायतों के एरिया पर ही ज्यादा फोकस रखते हैं। जो मंत्री उस समय जनमंच कार्यक्रम में जाते हैं वे फिर सुबह से शाम तक वहीं बैठते हैं और उसमें जिले के सभी अधिकारी सारा काम छोड़कर उस दिन जनमंच कार्यक्रम में उपस्थित रहते

हैं। शिकायत के बारे में जो माननीय सदस्य महोदया जी ने पूछा है, उसमें दोनों प्रावधान हमने रखे हैं। जो ग्राम पंचायतें हमारी ऑनलाईन हैं उनके सचिव यानी पंचायतों में जो हमारे तकनीकी सहायक होते हैं उनके माध्यम से उन पंचायतों की जो समस्याएं हैं उनको ऑनलाईन रजिस्टर करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ उसमें हमने यह भी प्रावधान रखा है कि जहां किसी कारण से शिकायत ऑनलाईन नहीं हो पाती है तो वहां पर मौके पर जाकर भी एप्लिकेशन्ज दी जा सकती हैं और वहां पर उनको स्वीकार भी किया जाएगा। वहां पर सभी अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था होती है और जितनी भी ऑनलाईन शिकायतें आई हैं, उनका और उसके बाद जो मौके पर एप्लिकेशन्ज आई हैं उन सभी पर एक-एक करके समाधान की दृष्टि से प्रक्रिया शुरू होती है। विभिन्न विभागों के अधिकारी जिन समस्याओं का निपटारा मौके पर हो सकता है, करते हैं। यह जनमंच कार्यक्रम हमारी सरकार का सबसे बड़ा और लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो ये 4 जनमंच कार्यक्रम अभी तक हमने आयोजित किए हैं उसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया है। इसके फोलोअप के लिए भी हमने प्रावधान किए हैं। पहले भी प्रदेश में "प्रशासन जनता के द्वार" नाम से यह कार्यक्रम चलता था लेकिन इसको मोनिटर करने का मैकेनिज्म हमने विकसित किया है। उसमें यह है कि जनमंच के दिन समस्याओं का समाधान मौके पर ही होगा। जैसे किसी का बिजली का कनैक्शन लगना है तो उसकी जो फॉरमेलिटीज हैं वे मौके पर ही पूरी होंगी। इसी तरह से किसी की जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित कोई काम है तो वह भी मौके पर ही होगा और यदि किसी ने वृद्धावस्था पैंशन या विकलांग/अपंग पैंशन के लिए कोई कागज तैयार करने हैं तो वे भी मौके पर ही तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट लेना है तो रेवेन्यू से संबंधित भी बहुत सारी चीजें उसमें शामिल की हैं। उसके साथ उस जनमंच में हैल्थ चैकअप भी साथ में होता है। इस तरह से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। उसके 15 दिन बाद जो हमारे जिलाधीश हैं, आपके वहां शायद कुछ जगह इनको जिलों में कलैक्टर बोलते हैं, वे इसका फोलोअप करते हैं कि जनमंच में ये समस्याएं आई थीं और इन समस्याओं का समाधान वहां मौके पर नहीं हो पाया था तो 15 दिन के बाद जिलाधीश अपने सभी अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय में समस्याओं का निपटारा करते हैं। उसके बाद अगर वहां पर ऐसा लगता है कि समस्याओं का निपटारा हमारे स्तर पर नहीं हो सकता है तो मिनिस्टर 'इन्चार्ज' को वे समस्याएं फिर आगे रेफर होती हैं। मिनिस्टर इन्चार्ज के वहां पर भी इनके फोलोअप का सिस्टम रखा गया है और उसके बाद भी अगर वहां पर निपटारा नहीं होता है तो चीफ

मिनिस्टर के सामने अगर कुछ चीजें कैबिनेट में करने की होती हैं, तो निर्णय वहां करते हैं। ऐसा मैकेनिज्म हमने विकसित किया है जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। यह जनमंच कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है जिसका लाभ आम आदमी को पहुंच रहा है। हम सभी को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी हमारी व्यवस्था यह है कि क्लर्कों के चक्कर और नीचे के कर्मचारियों के चक्कर में आदमी बहुत पिसता है। ऐसे में हमने यह प्रयत्न किया है, जोकि जानकारी के रूप में यहां दिया है। धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : यह केवल एक डमी क्वैश्चन था। आप अपनी बात शीघ्रता से पूरा करें क्योंकि फिर सेक्रेटरी गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने अपना इशु लेना है। जो हमारा ई-विधान है, इसके ऊपर कल सारा दिन डेलिब्रेशन्ज चलेंगी।

श्री धर्मेश शर्मा, निदेशक (आई.टी.) : जैसे कि आपने देखा कि बिना कागज के ऑनलाईन रिप्लाई ही वहां पर दिया तो यह पेपरलैस कार्यवाही इस तरह से चलती है। इससे पहले थोड़ा और बताऊं एक वीडियो जो कि 45 सैंकिड का है, इसका इम्पैक्ट कितना है। मलेशिया के माननीय अध्यक्ष यहां पर आए, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, उस सम्बन्ध में 30 सैकिण्ड का एक विडियो कृपया देखने की कृपा करें। (विधान सभा हाउस में लगे टी.वी. स्क्रीन पर 30 सैकिण्ड की एक विडियो क्लिप दिखाई गई।) Digital Library एवं Knowledge Bank को भी विधान सभा में स्थापित किया गया है जहां माननीय सदस्य किसी भी विषय पर सामग्री (material) प्राप्त कर सकते हैं।

सत्र के दौरान Entry Passes के लिए विभिन्न विभाग ई-विधान Website के माध्यम से आवदेन करते हैं और उन्हें QR Code Based ID Card दिए जाते है जिन्हें entry के दौरान Police द्वारा online verify किया जाता है।

ई-विधान का महत्व देखते हुए भारत सरकार ने Parliamentary Affairs मंत्रालय को ई-विधान सभी राज्यों में लागू करने के लिये Nodal मंत्रालय बनाया है। इससे पहले सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के control में ई-विधान चलाया जा रहा था। भारत सरकार द्वारा ई-विधान की replica को 2014 में दिल्ली में Good Governance Day

पर Exhibition स्थापित करवाया गया था। इसके बाद 2016 में International Trade Fair में दिल्ली में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई-विधान सभा की एक Replica को लगाया था। हिमाचल प्रदेश विधान सभा में ई-विधान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक 'State Civil Service Award' और तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। फरवरी, 2018 में भारत सरकार द्वारा ई-विधान को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

हि0 प्र0 विधान सभा के ई-विधान S/W को पूरे देश के लिये NIC द्वारा Ministry of Parliamentary Affairs के निर्देशानुसार customize किया जा रहा है। यह S/W अब ई-विधान Application National e-Vidhan Application (NeVA) कहलायेगा जिसके बारे में विस्तृत जानकारी सचिव, Ministry of Parliamentary Affairs इस प्रस्तुति कि बाद देंगे। इस NeVA S/W को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में मानसून सत्र, 2018 में टैस्ट किया गया और इससे हि0 प्र0 विधान सभा की कार्यवाही सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। हि0 प्र0 की सम्पूर्ण कार्यवाही 2014 से लेकर अभी तक NeVA Website पर उपलब्ध है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दूसरे Premises धर्मशाला (तपोवन) में National e-Vidhan Academy खोलने के लिए Proposal भेजा है। जहां पर आज की तरह सदन के अन्दर माननीय सांसद, विधायक, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिए माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा निरन्तर प्रयासरत्त है।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : धन्यवाद, धर्मेश जी। श्री राकेश पठानिया, माननीय सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राकेश पठानिया, माननीय सदस्य, हि0 प्र0 विधान सभा : माननीय अध्यक्ष लोकसभा, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी आज हमारे बीच में हैं और हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी तथा आदरणीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल जी आपके साथ बैठे हैं। जैसे ई-विधान नेशनल ऐकेडमी की यहां पर बात आई तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है और वहां पर हमारे पास एक सुन्दर भवन उपलब्ध है। आदरणीय डॉ0 राजीव बिन्दल जी आपसे 19 जुलाई को आपके चेम्बर में आ करके मिले भी थे और प्रार्थना की थी। लेकिन आज हम सभी लोग भी आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि यह नेशनल ई-विधान

ऐकेडमी धर्मशाला में जल्द-से-जल्द स्थापित की जाए ताकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा का जो वहां पर भवन खाली पड़ा है, उसका इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा : आपने जो बात कही, वह बिल्कुल ठीक है। आज जो बैठक यहां पर हो रही है, उसमें हमने परटीकुलरली ई-विधान सभा का विषय जानने के लिए ही रखा था। पार्लियामैंट ने भी पेपरलैस किया है। उसमें हमने एक ऐसी भी वैबसाइट बनाई है जिसके बारे में मैडम (Smt. Snehalata Shrivastava) बतायेंगी, जो पार्लियामैंट-लोक सभा, राज्य सभा को जोड़ते हुए विधान सभाओं को भी जोड़ रही है। लेकिन यह बात सही है कि इसकी कंटीन्यूअस ट्रेनिंग आवश्यक है। केवल एक दिन किसी को समझाकर काम नहीं चलेगा। यह कंटीन्यूअस ट्रेनिंग के हिसाब से जो बात आई है कि धर्मशाला में ऐसा एक प्रयोग हो सकता है जिसके लिए जगह उपलब्ध है और आप उस पर काम कर रहे हैं तो मैं ज़रूर इसके बारे में ऊपर बात करूंगी। लोक सभा और पार्लियामैंटरी अफेयर मिनिस्ट्री दोनों मिल करके हम इसमें ज़रूर सोचेंगे।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : धन्यवाद जी। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अगला विषय ले रहे हैं। सैक्रेटरी, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्ट्री (गवर्नमैंट ऑफ इंडिया) श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी जी अपनी बात रखेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) : माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे अपने जीवन के 58 साल में पहली बार विधान सभा में बोलने का मौका मिल रहा है। हम गैलरी में बैठने वाले लोग हैं।

National e-Vidhan (राष्ट्रीय ई-विधान) एप्लिकेशन हमने बनाया है। सवेरे चर्चा चली रही थी - 'One Nation One Election', 'One Nation One Act'. अब हम लाए हैं 'One Nation One Application' which will be relevant for Parliament, Councils and all the Assemblies. संसद की उत्पादकता पर बहुत चर्चा हो रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने मन की बात में भी चर्चा की कि लोक सभा और राज्य सभा की जो अचीवमैंट्स हैं उस पर लोगों की नज़र है और लोग देखना चाहते हैं कि हमारी उत्पादकता बढ़े। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कि माननीय सदस्यों के लिए डिजिटल से

बड़ा सहायक कुछ नहीं हो सकता है। ईवन सोशल मीडिया पर भी इन पर चर्चा बहुत ज्यादा होती रहती है।

एक conceptual framework हिमाचल प्रदेश की स्टडी करने के बाद बनाया है, parliamentary practices in India they are role model for many democracies. All Houses function as per the provisions of the Constitution of India and rules made by the House. Therefore, they can be integrated. Informed debate is the soul of parliamentary form of democratic Government and process of information management is even look after by the Government including panchayats. But we live in ocean of information; but little wisdom-scattered and unrelated and there is search cost to Hon'ble Members. Digital Legislature, अगर 'DIGITAL' को ध्यान से देखें तो डी0आई0जी0आई0टी0ए0एल, दिल से 'गीता' अगर कहेंगे तो डिजिटल हो जायेगा। डिजिटल के अंदर गीता समाहित है। हमने उसी शब्द को यूज़ किया है कि गीता का ज्ञान दिल से डिजिटल करेंगे तो अपने आप हाउसिज़ भी डिजिटल होंगे और हमें सूचना भी मिलेगी। हम अभी जो उद्देश्य NeVA में रख रहे हैं कि हम in House automation को प्राथमिकता दें। इसके साथ हम 'e-Constituency Management' और अन्य सुविधाओं पर ध्यान दें। 'Information as it happens' हम उस तरह से माननीय सदस्यों को देना चाहेंगे और रिस्पोसिंबल इन्फोरमेशन के लिए हम वातावरण पैदा करेंगे। वाई-फाई पहले एक हौवा होता था, खाली हिमाचल प्रदेश विधान सभा में था। पिछली बार माननीय अध्यक्ष महोदया ने लोक सभा में और उप-राष्ट्रपति महोदय ने राज्य सभा में वाई-फाई इनेबल करके इस सिक्योरिटी कन्सर्न को भी मुक्ति दी है कि हाउसिज़ भी वाई-फाई हो सकते हैं और उसके अंदर भी e-enabled devices को लेकर जा सकते हैं। इन्फोरमेशन का यूज भी कर सकते हैं। इससे हमारा और साहस बढ़ा है कि हम चाहें तो नेशनल एिप्लकेशन बना सकते हैं।

नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन- मैडम, अभी तक बहुत सारे राज्यों ने प्रयास किया है, लोक सभा और राज्य सभा ने भी प्रयास किया है तथा हम यहां हिमाचल का प्रयास देखने भी आए हैं। सबसे बड़ा मार्गदर्शी और सबसे बड़ा एडवांस प्रयास अगर हम बोलें तो आज की तारीख में हिमाचल वाला ही है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने बनाया नहीं है; गुजरात, मध्य प्रदेश और बहुत सारे स्टेट्स ने कोशिश की है और बड़ी भरपूर कोशिश की है। लेकिन एक कमी रह गई है कि each module is perfect but serves only one purpose. किसी

ने क्वैश्चन का मॉड्यूल बनाया है तो क्वैश्चन बहुत अच्छे करता है। लेकिन वह कमेटी के बारे में नहीं जानता है। कमेटी मॉड्यूल क्वैश्चन से लिंक नहीं है। दोनों मॉड्यूल मैम्बर्ज़ की एमिनिटीज़ से लिंक नहीं हैं और ये चारों मॉड्यूल निर्वाचन क्षेत्र से लिंक नहीं हैं। ई0-विधान का मॉड्यूल जो हिमाचल प्रदेश ने बनाया है, इसमें बहुत सारा इंटीग्रेशन हुआ है। इसको हम अप-स्केल करना चाहते हैं ताकि यह माननीय सांसदों और विधान सभा सदस्यों के लिए लाभकारी हो।

माननीय सदस्यों को हम कहते हैं कि वे सूचना साथ लेकर आएं। लेकिन वे सूचना कहां से लें? हम कहते हैं कि हमारा डाटा डिजिटली ऐवेलेबल हैं लेकिन कहां है? वेबसाइट पर है और वेबसाइट कहां है? उसके अड्रैस अलग-अलग हैं। एक माननीय सदस्य को आज की तारीख में सूचना खोजने की जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि वह किस पोर्टल पर जाएं; हाउस के पोर्टल पर जाएं या मिनिस्ट्रीज़ ऑफ डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाएं। इस एप्लिकेशन को 80 से ज्यादा मॉड्यूल प्रोसैसिंग कर रहे हैं। यहां तक कि कई जगह मोबाइल ऐप नहीं है और लैंग्वेज़ के इश्यूज भी हैं। इस बात का हमने अध्ययन किया है। हमारा उद्देश्य है कि मैंबर फर्स्ट। अभी तक जितने डिजिटल अटैंप्ट हुए हैं, आप जानते हैं कि हमने ब्यूरोक्रेसी को सुदृढ़ करने के लिए बनाये हैं। हम किस तरह से सूचना आपको दे सकें, किस तरह से क्वैश्चन प्रोसैसिंग हों। लेकिन मैंबर को सूचना पहले मिले, Member is better informed, Member is more informed and Member is informed with the exact information. यह NeVa में हमारा उद्देश्य है। There will be One-touch access which will make it easy to use this application. It is designed to assist Hon'ble Members. It is cloud-based and Mobile-friendly application. The device-agnostic किस डिवाइस पर चलेगा, multi-function compliant, Unicode & multi-tenancy application किसी लैंग्वेज़ का इश्यू न हो इसलिए यह गुजराती, तमिल और कन्नड़ में भी चलेगा और इसके साथ-साथ हिन्दी व अंग्रेजी में तो चलेगा ही चलेगा। भारत की सभी भाषाओं में चलने वाली यह एप्लिकेशन बनाई गई है। It is designed for in House automation and information as it happens क्योंकि एन0आई0सी की यह ओन इन्फोरमेशन है, इसलिए इसमें कोई प्रोब्लम

नहीं है। जब वे सदन के अंदर आते हैं तो वे जानना चाहते हैं कि आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस क्या है? हम अभी लिस्ट ऑफ बिजनेस प्रिंटिड देते हैं लेकिन हम डिजिटल भी उपलब्ध करवा सकते हैं और वे जब लिस्ट ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं तो जैसे ओबिचूअरी आती है या उसके बाद मैंबर्ज़ द्वारा पेपरलेड आता है, वे उसको वहीं क्लिक करके इसके बारे में इन्फोरमेशन देख सकते हैं कि कौन-सी इन्फोरमेशन माननीय मंत्री जी या माननीय सदस्यगण या किसी समिति के सदस्यगण *ले* करना चाहते हैं। लेकिन हम प्रिंटिड में इतनी बल्क इन्फोरमेशन सबको नहीं दे सकते हैं but digitally we can make it available to every Member as it happens. अभी आपने यहां टच स्क्रीन डिवाइस देखा है। इस एप्लिकेशन को बाहर नहीं ले जा सकते हैं। इसको बाहर ले जाने के लिए आपको एक और माध्यम चाहिए। हमने 'नेवा' (NeVa) में जब National e-Vidhan Application बनाई तो हमने इस समस्या का अध्ययन किया कि इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? ताकि माननीय सदस्य इन्फोरमेशन जहां देखें; चाहे मोबाइल, डेस्कटॉप, टेबलैट या किसी भी टच स्क्रीन डिवाइस में देखें तो हर जगह एक ही सूचना मिलें। प्रत्येक मैंबर को हर डिवाइस के लिए बार-बार ट्रेनिंग ठीक नहीं है और माननीय सदस्यों का समय भी बहुत बहुमूल्य है। मैडम, हमने जो मोबाइल ऐप बनाई है यह गूग्ल और आई0ओ0आई0 ऐप स्टोर पर पहले से ही उपलब्ध है। यहां पर जो भी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि वे इसको डाउनलोड करें और इसका यूज़ करें। दूसरा, लोक सभा, राज्य सभा और सारी विधान सभायें/विधान परिषदें या अपनी पसंद की विधान सभा या विधान परिषद् चुन सकते हैं और उनकी इन्फोरमेशन इस पर उपलब्ध रहेगी।

हम यहां पर लोक सभा के बारे में दिखाना चाह रहे हैं जो इन्फोरमेशन हमने कलैक्ट करके लगाई है। स्क्रीन न0 1 पर माननीय अध्यक्ष, लोक सभा का चित्र है और साथ-साथ जो नोटिसिज़ हर महीने इश्यू होते हैं, बुलेटिन पार्ट-॥, कंटैक्ट्स, रूल्स ऑफ हाउस की पूर्ण व अद्यतन जानकारी माननीय सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ-साथ लिस्ट ऑफ बिजनेस, बुलेटिन पार्ट-।, बुलेटिन पार्ट-॥, स्टार्ड क्वैश्चन और उसके आंसर भी उपलब्ध हैं। I will confess that we have borrowed this application heavily from Himachal Pradesh and I have no reason for not giving them credit for this.

नेशनल ई-विधान, ई-विधान, हिमाचल प्रदेश का ही इम्प्रूव्ड वर्शन है और जो हम बना रहे हैं उससे हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होगा। हिमाचल प्रदेश के ई-विधान में जो सूचनाएं ज्यादा हैं, हमने वे सूचनाएं कम करके माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाई है ताकि माननीय मैंबर को रैलिवेंट इन्फोरमेशन मिले क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फोरमेशन का बोझ भी प्रोब्लम क्रियेट करता है। लेकिन सूचना तो सूचना ही होती है जितना भी लेना चाहे, ले सकते हैं। डिजिटली सूचना का कोई भार नहीं होता है, कितनी भी करोड़ों टन सूचना हम एक टेबलेट में ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि जो सूचना जैसे मिलती है, वह उसी रूप में हम सांसदों व विधायकों को उपलब्ध करवाएं और जब माननीय विधायक व सांसद बनते हैं तो उनको फिर से नई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़े। When they download this system they will get the same look and feel whichever device they use.

इसमें हमने लिस्ट ऑफ बिज़नेस दिखाया है, आप जब इसको चैक करेंगे तो यह पहला कॉलम है। लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो पेपर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वह पेपर अटैच हो करके सामने खुलेगा। माननीय सदस्यों को फिर से लॉबी, सैन्ट्रल हॉल या पार्लियामैंट लाइब्रेरी में जा करके उस पेपर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पेपर मिलता नहीं है, इसमें सारे पेपर्ज़ उपलब्ध हैं। लेकिन जहां चाहिए, वहां नहीं मिलते हैं और जब बोलना हो तब तो सूचनाएं बिल्कुल ही नहीं मिलती है। इसके लिए हमने कोशिश की है कि जो सूचना जहां है, उसको एकत्रित करके मैंबर्ज़ को चाहे वे प्रश्नों से संबंधित हो, कागज़ात से संबंधित हो, चाहे समितियों से संबंधित हो or any other related to the functioning of the House हो; उसे हमने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। मैडम, हमने इसमें Constituency Management नहीं लगाया है because that is a governance issue. ऐसा नहीं है कि हम इसके खिलाफ़ हैं। अभी हमने वर्शन-। में कोशिश की है कि हाउस के अंदर ऑटोमेट करने के लिए क्या-क्या चाहिए और हम इसको पहले कर लें। अगर यह सफल होता है तो हम Constituency Management की तरफ भी बढ़ सकते हैं और सहज़ता से बढ़ सकते हैं तथा उसी तरीके से बढ़ सकते हैं जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश बढ़ा है।

एक फीचर हमने हिमाचल से बहुत हैविली बोरो किया है। माननीय मंत्रियों, माननीय सदस्यों और employees of the House तथा जिला कलैक्टर्ज़, एस0पी0 आदि की जो इन्फोरमेशन या नम्बर होते हैं, उनको आपको पोकेट-बुक में ले करके घूमना पड़ता है और

कभी ये नम्बर और इन्फोरमेशन सही मिलती भी नहीं है। अगर आज आप नेवा में देखेंगे तो भारत सरकार के सभी मंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों और सारे MPs and MLAs of Government of India and State Government functioning, all the secretaries of Government of India including all the secretaries at the State level को आप नेवा के मोबाइल ऐप से ही डायरैक्ट डायल कर सकते हैं तथा चाहे किसी मंत्री, सदस्य, विधायक या एम0एल0सी0 से बात करनी हो और इसके लिए एक ही इन्फोरमेशन में वे भी आपसे बात कर सकते हैं। Current communications is always to a process and we have ensured that NeVA handles that very efficiently. इसी तरह से सरकार की ब्यूरोक्रेसी जो आपको स्पोर्ट करती है, उनका इन्फोरमेशन या कंटैक्ट ग्रुप भी है। हाउस का काम इसको अपडेट करना है और मैंबर का काम इसको यूज़ करना है। अगर कहीं पर गलती होती है तो हाउस का काम इसको अपडेट करना है ताकि मैंबर्ज़ के लिए ये सब समस्याएं न आयें।

पहले हमने आपको यहां पर दिखाया तो माननीय अध्यक्ष महोदया का फोटो दिख रहा था। क्योंकि application is designed for Members. वहां एक नीला-सा डोट दिखता है जैसे यहां भी दिख रहा है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो उस हाउस के माननीय सदस्यों का फोटो और इन्फोरमेशन इस साइट में दिखेगी as if this site has been designed for them. हम एक डिज़िटल इलूज़न क्रिएट करते हैं ताकि उनको लगे कि यह पूरी साइट उनके लिए बनाई गई है। मैडम, यह साइट सचमुच में बनाई भी गई है। हमने कोशिश की है कि 5,373 माननीय सांसद और माननीय सदस्य को इसी तरह से खूबसूरत दिखाया जा सके और उनको सारी अद्यतन सूचनाएं पोकेट में डलवा सकें। हम पोकेट में और कुछ तो नहीं दे सकते हैं लेकिन सूचनाओं का एक अम्बार नेवा के माध्यम से उनकी पोकेट में डाल सकते हैं। यहां पर हमने कुछ माननीय सदस्यों के फोटो भी दिखाएं हैं। If just, only for the sake approving the concept नेवा का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज़ है कि हरेक इन्फोरमेशन जो आप अपलोड या एंटर करेंगे, जैसा कि अभी धर्मेश जी, निदेशक (आई0टी0) बता रहे थे कि वह इन्फोरमेशन आपको बेवसाइट, मोबाइल और टच स्क्रीन डिवाईस पर भी मिलेगी। लेकिन पब्लिक को यह इन्फोरमेशन मिलेगी कि आपने क्या-क्या कार्य किये हैं। जो न्यूज़ आईटम्ज़ होते हैं जैसे कि आपने बहुत सारे उद्घाटन किये हैं या अन्य जो घटनायें होती है, हम उन सारी घटनाओं को कोलैक्ट करके नेशनल

न्यूज़ डाटा बेस बनायेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य कर रहे हैं ताकि ज़नता जान सके कि कौन-सी इन्फोरमेशन कहां पर है?

मैडम, हमने एक नेशनल डैश बोर्ड बनाया है which is going to be very useful because इसमें 1,13,387 प्रश्नों के उत्तर बने रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 25,000 से ऊपर रिपोट्स की कॉपी हों, दो लाख से ज्यादा पेपर लेड हों; ये सारा ज्ञान का भंडार हमारे पास होगा and this will be accessible to a touch device and accessible to any Member and every Members. लोक सभा की गतिविधियों से अरुणाचल प्रदेश का एम0एल0ए0 भी अपने आपको जोड़ कर उस रिपोर्ट को कोड कर सकता है और अपने लिए उसको यूज़ कर सकता है। हिमाचल प्रदेश का कोई सांसद या विधायक भी लोक सभा के किसी प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर सेव करके अपने सोशल मीडिया पर भी टैग कर सकता है कि आज हमारी यह स्पीच है, हमने यह कार्य किया था और आप देखें। इससे सांसदों की गरिमा भी बढ़ेगी और जनता के बीच उनका सम्मान भी बढ़ेगा। हमें अकाउंटेबिलिटी रिस्पोंसिबल एंड रिस्पोंसिबल टू सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी।

मैडम, आज की तारीख में यह सिस्टम फुली रेडी है। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 40 हाउसिज़ यानी लोक सभा, राज्य सभा, 31 विधान सभाओं, सात असैम्बलीज़ के लिए और एक और असैम्बली आने वाली है। मैं उड़ीसा से संबंध रखता हूं, हमारे उड़ीसा से भी कौंसिल बनाने के लिए प्रस्ताव आ रहा है और कहीं से भी कौंसिल आएगी। हमें एक कौंसिल का नाम डालना पड़ेगा, The whole structure is ready for all of them. आज हमें जरूरत है डाटा एंट्री करने की, थोड़ी सी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आज लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभाओं में बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं तथा वे हमारे से भी ज्यादा जानकारी रखते हैं कि हाऊस कैसे चलता है? कोई भी व्यक्ति जो अपनी ई-मेल लिख सकता है वह नेवा का सब कार्य कर सकता है। इस तरह से हमने इसे तैयार किया है। अपेक्षित वित्तीय सहायता मिलने की भी इसमें आवश्यकता है। हमारे माननीय मंत्री जी यहां पर नही हैं, यह मामला अभी विचाराधीन है इस नाते अभी इस विषय पर कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हम चाहेंगे कि जैसा यहां पर फुल ऑटोमेशन है वैसा ही सभी विधान सभाओं में भी ऑटोमेशन हो और उसमें भारत सरकार सम्पूर्ण सहयोग दें। इस विषय पर नीतिगत निर्णय नहीं हुआ है इसलिए हम सदन को बताने में सक्षम नहीं हैं। इसमें हम मैन पावर देने की भी कोशिश करेंगे। इसमें 20-30 मैन पावर हर हाऊस में दिए जाएं

ताकि माननीय सदस्य फुली ट्रेंड हों। जो आपको 3-4 सालों में इतना सक्षम कर दें कि आप डिजिटल एम्पावर्ड हों और hardware access, ownership; इन सबका बन्दोबस्त इसमें किया गया है।

आज कुछ माननीय सदस्यगण यहां पर उपस्थित हैं और कुछ विभिन्न विधान सभाओं के माननीय अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। हम बताना चाहेंगे कि आपकी साइट्स भी इक्वली रेडी है। Your site is as good as Himachal Pradesh and your site is slightly better than Himachal Pradesh if you put real data and force your House to do the data entry in a putting question, यह क्यों होगा और कब होगा, अब उद्देश्य यह है कि कितना जल्दी होगा ताकि सारे देश को हम एक प्लेटफार्म में ला सकें। हमने कुछ छोटे-छोटे ब्राउज़र बनाए हुए हैं, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम से ज्यादा आप सभी लोग जानते हैं और हाऊस के जो कर्मचारी होते हैं, they are much better informed on this issue. इसमें दो चीजें इस स्लाइड में दिखाना चाहेंगे। इसके बाद हम आपके बहुमूल्य समय को धन्यवाद कह कर समाप्त करेंगे। एक जो ई-बुक बनी हुई है, जैसा आपने हिमाचल की स्लाइड पर देखा, ऊपर ई-बुक बनी हुई है। इस ई-बुक के लिए मैं आग्रह करूंगा कि माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को यह सिस्टम सदन के अंदर लगाना पड़ेगा। इसकी भी सहायता राशि भारत सरकार देने को तत्पर है। जहां यह डिवाइस उपलब्ध नहीं है या जिन हाउसिज के पास स्पेस की कमी है, जैसे राज्य सभा और लोक सभा में स्पेस की कमी है वहां पर डिवाइस लगाने के लिए जगह नहीं है, वहां हमारा हल यह है कि वहां पर हम टच स्क्रीन टेब्लैट दे दें। वहां पर 10-15 ईंच का बड़ा टेब्लैट दे दें जिसकी लागत 1 लाख रुपये तक की होगी। उसमें सारी जानकारी माननीय सदस्य के टेबल पर रहेगी। हमें जितना समय मिला था हमने उसका सदुपयोग किया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा, अध्यक्ष लोक सभा, माननीय मुख्य मंत्री हि0प्र0, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अग्निहोत्री जी का और सभी अध्यक्षों का जिन्होंने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा अवसर है, मेरी 58 वर्ष की आयु में यह अवसर मुझे नहीं मिला है। हमारा यह दुस्साहस माना जाएगा कि हम उस विधान सभा के अन्दर बोल रहे हैं जहां पर स्पीकर लोक सभा, माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश बैठे हैं। परंतु जो अवसर आपने मुझे दिया है इसके लिए शुक्रगुजार हूं, You cannot build your reputation on your future plan. You have to show something to build your reputation. ई-विधान सभा का जो कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है इसी को हम अग्रसर कर रहे हैं। Our reputation is

already tested in the House. इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो India can be digitally empowered. The Hon'ble Members can put their information in their pocket. मैडम, हमें आपका आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने बहुत सुन्दर जानकारियां प्रस्तुत की हैं। हम समय से पीछे चल रहे हैं और आदरणीय अध्यक्ष, लोक सभा को काफी कष्ट दे रहे हैं। बीच में कोई ब्रेक भी नहीं दिया। मैं महा सचिव, लोक सभा से आग्रह करूंगा कि वे चंद शब्दों में अपनी बात रखें।

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, महा सचिव, लोक सभा : सदन में उपस्थित सभी महानुभावगण, सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि मुझे बोलने का समय दिया। मैं लोक सभा के डिजिटाईजेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी ने मुझे निर्देश दिया था कि लोक सभा में हम जो ई-ऐप्लिकेशन्ज का उपयोग कर रहें हैं, उसके बारे में आपको अवगत करवाऊं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। मैं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश को बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ही कम समय लूंगी। इसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्ज़ हैं, वे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्ज हैं। दूसरे जो लोक सभा और राज्य सभा के अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, हमें भी कुछ फाइल्ज का कंसल्टेशन करना पड़ता है। जो हमारे इलेक्टोरेट्स हैं, मीडिया के लोग व पब्लिक हैं, उनके साथ हमें इन्फोरमेशन शेयर करनी पड़ती है। इसमें हमारे पास अलग से एक मैम्बर पोर्टल है जिसमें हर मैंबर के बारे में जानकारी होती है। मैम्बर्ज पोर्टल से माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और Calling Attention Motion भी दे सकते हैं। जिस भी नोटिसिज़ को वे देना चाहते हैं, वे नोटिसिज माननीय सांसद हमें ई० नोटिसिज के माध्यम से दे सकते हैं। उसी के अनुसार हम अगली कार्रवाई लोक सभा में करते हैं। इसके अलावा लोक सभा में बुलेटिन और जो भी इन्फोरमेशन डिबेट्स, माननीय सदस्य को सरकुलर्ज देना चाहें वह स्क्रीनशोर्ट भी आपको दिखेगा। उसको Number of persons से एक्सैस करते हैं और यदि उसमें किसी भी तरह की कमी रह जाती है तो हमें फोन आ जाता है कि इसमें यह अपडेट नहीं हुआ है। We have to

be very alert और उसमें हम सारी इन्फोरमेशन्ज देते हैं। इसके अलावा माननीय सांसदों के लिए मैंबर पोर्टल में ऑनलाईन सुविधा दी गई है और सभी माननीय सांसद उसको इलैक्ट्रोनिकली हमको सब्मिट कर सकते हैं। माननीय सांसद वेबसाइट के थ्रू और आई-पैड पर अपने प्रश्नों के उत्तर, जो पेपर्ज और बिल्ज सर्कुलेटिड हैं, अपनी और दूसरों की डिबेट्स तथा बुलेटिन जो इश्यू किए गए हैं, उनको भी देख सकते हैं। ये मैंबर पोर्टल है (स्क्रीन दिखाते हुए) जिसके अंदर उनको स्क्रीन के ऊपर से ही क्लिक करके जो भी रिक्वैस्ट सब्मिट करनी है, एस०एम०एस०, ई-मेल, पार्लियामेंट से रिलेटिड यदि कोई काम है तो वे उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं। माननीय सांसदों को जो फैसिलिटीज दी गई है, वह अगली स्लाइड पर है। उनको 3 लाख रुपये कंप्यूटर की कोई भी डिवाइस परचेज़ करने के लिए, इसकी एक बड़ी लम्बी लिस्ट दी गई है, वे इसमें से कोई भी सामान परचेज़ कर सकते हैं। We only provide the reimbursement. इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन FTTH हैं, वह सब हम पार्लियामेंट की तरफ से उनको बी०एस०एन०एल के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन हाउस में वे अभी वाई-फाई का यूज़ करते हैं जोकि लिमिटिड है, उसके माध्यम से वे लिस्ट ऑफ बिजनेस और क्वैश्चन-आंसर इत्यादि Everything they can see in the house. हमारे आई०टी० के स्टेट मिनिस्टर श्री आहलूवालिया जी और मैडम स्पीकर (लोक सभा) दोनों की मीटिंग के दौरान यह डिस्कशन हुआ और बहुत ही शोर्ट टाइम में एक सप्ताह के अंदर ये फैसेलिटीज हमें हाउस में उपलब्ध हो गई। इसके अतिरिक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफियरेंस है,उसको आप समझ सकते हैं। एक तो हाउस होता है और दूसरे पूरा सचिवालय होता है; पार्लियामेंट में इन दोनों की जरूरत पड़ती है। माननीय सांसदों के टी०ए०/डी०ए बिल्ज हैं और फाइल्ज होती हैं; उनमें ज्यादातर मैंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटिड इश्यूज होते हैं। इसलिए वहां इंटरफेस हैं और e-office, e-leave for employees सारी फाइलें जो मूव होती है, वे सभी स्तरों पर इलैक्ट्रोनिकली मूव होती है। उसमें भी हमने पेपरलैस पार्लियामेंट की दिशा में काम किया है। Interface with the secretariat for the secretariat और अगला हम शोर्ट में बता रहे हैं। ई०-ऑफिस, ई०-लीव हैं और सारी छुट्टियों की ऐप्लिकेशन्ज उसी में आती हैं, उसी में अप्रूव हो जाती हैं और उसका डेटाबेस भी रहता है। Digitization of record यदि आप देखेंगे जोकि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, उस पर काफी

काम हुआ है। थोड़ा सा बचा है जिसको हम मैडम स्पीकर के समय में ही लांच कराना चाहते हैं। अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो वह इतना बढ़िया डेटाबेस है कि जब वह पब्लिक डोमेन में आएगा तो आप उसको देखकर हैरान हो जाएंगे कि पहली लोक सभा से लेकर अभी तक पूरा डिबेट्स का रिकार्ड उसमें मिलेगा। यह पार्लियामेंट की एक तरह से Digital Library होगी और लगभग 3,87,000 से 4,00,000 फाइलों को डिजिटाइज्ड किया गया है। इसमें सभी पुरानी कमेटीज़ एवं सब-कमेटीज़ की रिपोर्ट्स हैं जोकि लगभग 9,550 हैं। वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2018 तक सारे Presidential Addresses हैं, वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2018 तक सारी बजट स्पीचिज हैं and Constituent Assembly का भी जो ड्राफ्ट मेकिंग है वह भी दिसम्बर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 का इंगलिश और हिन्दी; दोनों में उपलब्ध है। इसलिए जब हमारा यह डाटा उपलब्ध होगा तो रिसर्च के लिए और जो मेम्बर्ज समय-समय पर हमको reference करते रहते हैं उसमें हमारा काफी बड़ा काम चलता है। उसमें मदद मिलेगी और उनको बार-बार हमारे पास नहीं आना पड़ेगा।

इसके अलावा यदि आप देखें तो वर्ष 1952 से लेकर 1990 तक सभी गवर्नमेंट बिल्ज जो लोक सभा और राज्य सभा में इन्ट्रोड्यूस हुए हैं, वे भी उपलब्ध हैं। हम लोगों ने एक काम यह भी किया है कि हमारे एक माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय गोयल जी हैं, उनकी हमारे पास यह डिमाण्ड आई थी कि एक कमेटी को यह पता नहीं होता कि दूसरी कमेटी की मीटिंग कब हो रही है। यदि मैम्बर्ज उसके कॉमन हैं और उनको आपस में कोई बात करनी है, तो उन्हें पता चल जाए इसलिए हमने यह इन्टरफेस भी रिसेन्टली बनाया है और वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो लोक सभा और राज्य सभा की कमेटीज़ हैं, वे आपस में मेम्बर्ज को देख सकती हैं कि उनकी मीटिंग हो रही है और वे कोअर्डिनेट भी कर सकती हैं।

इसके बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन शॉट है जो हमारी वेबसाईट का है। इसमें सारी फोटो गैलरी और जितनी चीजें हैं, वे हैं। जो अभी चल रहा है, यह वही है। इसमें सारी सूचना मिलती है। इसमें एक इन्ट्रानेट भी है जिसमें हम अपने ऐम्प्लॉयज़ से बात करते हैं। इसका ऐक्सैस केवल हमारे ऑफिशियल्ज और ऐम्प्लॉयज को है।

इसके अलावा यह एक गेट-वे है जिसके अन्दर जो त्रिपाठी जी बता रहे थे, इसको आप थोड़ा देखेंगे। इसमें ओलरेडी सभी विधान सभाओं से हमारा है और यह वेबसाईट में हमें सारा मिलता है। यह सभी लोक सभा, राज्य सभा और सभी विधान सभाओं का है तो इसको देख लें ताकि डुपलिकेशन न हो और इसको हम समय पर कर लेते हैं। बेसिकली हम डिजिटाईजेशन के माध्यम से लोक सभा में जो फैसिलीटेशन कर रहे हैं, उसमें हमारे यहां सारा पेमैन्ट भी ई-पेमैन्ट है और एक ई-विस्टा करके सॉफ्टवेयर चलता है, वह भी है। जो भी फैसिलीटेशन हम माननीय सांसद को कर रहे हैं और जो हम अपने ऑफिशियल्ज को कर रहे हैं, वह बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। आइडिया यह है कि पेपरलैस पार्लियामेंट हो, हम पेपर का कम उपयोग करें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को बचाकर रखें। इसी दिशा में और भी कई प्रयास चल रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक की वाटर बोटल्ज का उपयोग कम करना और इसी तरह से और भी इनीशियेटिव माननीय अध्यक्ष महोदया के निर्देश पर हम लोग समय-समय पर लेते हैं। धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा :धन्यवाद, महा सचिव, लोक सभा। आपने लोक सभा की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे सांझा की और हम आपके आभारी हैं। अब आज के सैशन के अन्तिम चरण में माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश श्री जय राम ठाकुर जी अपना सम्बोधन देंगे।

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश : राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र-IV के इस सम्मेलन में जो कार्यशाला का रूप धारण कर यहां आगे बढ़ रहा है, मैं हमारे बीच राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत की अध्यक्ष एवं लोक सभा की माननीय अध्यक्ष महोदया आदरणीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सम्माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल जी, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, इस सदन में उपस्थित विभिन्न विधान सभाओं से आए सम्माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं माननीय विधायकगण, लोक सभा की महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी जी और यहां पर उपस्थित आप सभी के साथ आए परिवार के सदस्यगण, मैं आप सबका हिमाचल प्रदेश के इस ऐतिहासिक विधान सभा भवन के अंदर पधारने पर स्वागत करता हुआ अभिनन्दन करता हूं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र-IV के पीठासीन अधिकारियों का यहां जो सम्मेलन हो रहा है उसके लिए आपने शिमला को चुना, इसके लिए मैं लोक सभा की माननीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी शिमला आए हैं और स्वाभाविक रूप से आज शिमला 'शिमला' जैसा लग रहा है। शिमला का अभिप्राय यही होता है कि गर्मी के मौसम में भी अगर कोई यहां आए और यहां वर्षा की यदि एक छोटी सी बौछार भी आ जाए तो महिलाओं को शाल ओढ़नी पड़ती है और पुरूषों को जैकिट की दुकान पर जाना पड़ता है यदि वे साथ में गर्म वस्त्र न लाए हों। उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आप सब इस मौसम का आनन्द ले रहे होंगे।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण विचारों को हमें सुनने का अवसर मिला है। सहज रूप से शायद यह परम्परा रहती है कि जब इस प्रकार का कोई सम्मेलन या वर्कशॉप जिस प्रदेश में आयोजित की जाती है तो एक औपचारिकता के नाते मुख्य मंत्री वहां पर स्वागत करते हैं और उसके बाद वे कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और खासतौर से हमारे विधान सभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी का मैं तह दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझसे एक विनम्र आग्रह किया और कहा कि हमें अच्छा लगेगा यदि आप थोड़ा समय निकालेंगे। मैंने कहा कि मेरे लिए यह स्वयं सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलेगा और यहां पर आप सबकी बात सुनने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ बातों को लेकर जहां मुझे आवश्यक लगता है, मुझे भी कुछ बातों को सांझा करने का अवसर मिलेगा। उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर यहां चर्चा हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हम सब लोग अपने-अपने प्रदेशों में काम कर रहे हैं। समय का अभाव है इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई बल्कि थोड़ा अटपटा भी लग रहा था जब सम्माननीय अध्यक्ष नीचे से बोल रहे थे और हमारे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष महोदय इस व्यवस्था का संचालन करते हुए आपको भी कह रहे थे कि समय की कमी है इसलिए संक्षिप्त में बोलने का प्रयास करें। विभिन्न प्रदेशों से आए विधान सभा अध्यक्षों को हमारे माननीय अध्यक्ष इस तरह से कह रहे थे इसलिए थोड़ा अलग लग रहा था लेकिन समय की भी मर्यादा है। आप सभी लोग अपनी-अपनी विधान सभा के अन्दर इस दौर से गुजरते हैं तो आपकी भावनाओं को कहीं ठेस पहुंची हो, उसके लिए हम क्षमा भी

चाहेंगे। अगर हम पहले विषय पर बात कहें कि वन नेशन वन इलैक्शन, मैं समझता हूं कि यह चर्चा पहले भी हुई है लेकिन जिस दौर में यह चर्चा आज की परिस्थिति में प्रवेश हो रही है, आज इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। हम इस बात से सहमत हैं कि इसमें कानूनी तौर पर भी बहुत सारी पेचिदगियां हैं। अव्यावहारिक रूप से अगर हम देखें तो उसमें भी बहुत सारी पेचिदगियां हैं, मुश्किलें हैं। एक लोकतांत्रिक देश जो दुनिया भर में लोकतंत्र के क्षेत्र में एक मिसाल के रूप में अपना प्रदर्शन करता है, एक दिशा देता है, उस देश में इस सारी व्यवस्था के अनुसार वन नेशन वन इलैक्शन का यह प्रोसैस आगे कैसे बढ़ सकता है, इसको मंजिल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, स्वाभाविक रूप से यह सरल नहीं है, कठिन है। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि डगर कठिन है, जटिल है लेकिन अगर हम इस लक्ष्य को निर्धारित करके चले कि इसको हासिल करना है तो मुझे लगता है कि लक्ष्य कितना भी मुश्किल हो, उसको हासिल किया जा सकता है। आज के दौर में यह आवश्यकता महसूस हो रही है। हम सब लोग विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। अपनी-अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण अपनी-अपनी बात जहां पर कहने की होती है, लोकतंत्र के मुताबिक कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आज सारी विचारधाराओं को छोड़ कर यह सोचने की जरुरत है कि आज देश की आवश्यकता क्या है? क्या भारत वर्ष आज की परिस्थिति में यहां पहुंच गया कि हर महीने चुनाव, हर वक्त चुनाव हो तो इस परिस्थिति को अफोर्ड कर सकता है? क्या हम आज की परिस्थिति में इस बात को अनुभव नहीं कर रहे हैं कि चुनाव की हर वक्त की इस प्रक्रिया में बहुत सारा वक्त जो देश के विकास के लिए लगना चाहिए था, वह ज़ाया हो रहा है। क्या सचमुच में यह भी सोचने का विषय हमारे सम्मुख नहीं है कि देश का बहुत सारा धन इसमें ज़ाया हो रहा है? ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों के बीच में भी जाए और अगर हम 10 लोगों के बीच में भी चर्चा करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 में से 8-9 लोग यही अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि बार-बार चुनाव का होना देश के हित में नहीं है। एक साथ चुनाव होना, हर बार चुनाव होना और बार-बार चुनाव होना ये सारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि आज के दौर में इसकी आवश्यकता है और इस दृष्टि से हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने ठीक कहा कि हम कोई निर्णय करने की दृष्टि से यहां पर नहीं हैं लेकिन हम क्या अनुभव कर रहे हैं और देश की आवश्यकता आज की तारीख में क्या है, ऐसी परिस्थिति में एक चर्चा के रूप में हमें अपनी बात कहने का अधिकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप अब इसके समाधान की दिशा में आगे

बढ़ने की भी आवश्यकता है। इसमें काफी चर्चा हुई और बार-बार हुई। मुझे लगता है कि अब इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सवैंधानिक व्यवस्थाओं की बात की गई तो इन सारी चीजों को जब देश तय कर लें, सब लोग तय कर लें तो मुझे लगता है कि संविधान में जो प्रोविजन जोड़ने की आवश्यकता रहेगी, वे सारी चीज़ों की व्यवस्था भी उस वक्त की जा सकती है। उसके साथ-साथ में अब जो टेक्निकल चीज़ें सामने आ रही थीं, जिन चीज़ों को लेकर आशंका व्यक्त की कि विधान सभा का चुनाव हो गया लेकिन बीच में एक परिस्थिति निर्मित हो गई, उस परिस्थिति में विधान सभा में जो बहुमत वाला दल है, वह सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, उस परिस्थिति में क्या होगा? उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, उस परिस्थिति में प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की जो आवश्यकता है उसको कैसे चला सकते हैं, ये सारे तमाम टेक्निकल इश्यु उसमें शामिल हैं। सारी बातें उसमें हैं लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी समाधान किया जा सकता है। बहुत सारे देश इस दुनिया में ऐसे हैं जहां एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की तारीख तय हो जाती है। आज चुनाव हो रहा है, अगला चुनाव किस तारीख को होना है, किस दिन परिणाम निकलना है और किस दिन वहां पर सरकार का गठन होना है, वे सारी चीज़ें अगर वहां पर निर्धारित हो सकती हैं तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमारे यहां पर भी ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। मुझे इस बात को लेकर कोई संकोच नहीं है कि आज हमारे पास आदरणीय प्रधान मंत्री जी के रूप में जिस प्रकार का नेतृत्व देश में है, मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर हम सब लोग आगे बढ़ें तो हमारा नेतृत्व इस निर्णय को इम्प्लीमैंट करने में सक्षम है। उस दृष्टि से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सहयोग की दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। देश की आवश्यकता "एक देश एक चुनाव।" है। "One Nation One Election" की अगर हम बात कहें तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है। उस दिशा में आप लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एक सार्थक चर्चा यहां पर हुई है। मैं आप सब का उस चर्चा के लिए धन्यवाद करता हूं।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय, ड्रग्ज़ एब्यूज को लेकर यहां पर बात हुई है। सचमुच में यह किसी भी परिस्थिति में, जिस प्रकार से एक दहशत आतंकवाद का पूरी दुनिया में है, उससे कम नहीं है। यह विषय हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। इस बात को लेकर मुझे लगता है कि पार्टियां एक जगह हैं, हमारी विचारधाराएं एक जगह हैं, सब लोगों को उसको अभियान के रूप में लेने की आवश्यकता है। जब हम अभियान के रूप में इसको लेंगे तो मुझे लगता है कि तभी

जाकर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। अभियान का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा अनुभव है और हमने पिछले अरसे से देखा है, जिस चीज़ को हम सब लोगों ने मिलकर के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभियान के रूप में ले लिया, उसमें हम आगे बढ़े हैं। उसमें हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, अगर हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं। अगर हम बात कहें तो एक वक्त साक्षरता का विषय था, उसे अभियान के रूप में लिया गया। उस साक्षरता के अभियान में जब सब लोग जुड़ गए, पूरा देश जुड़ गया, उसके परिणाम आए तो हमारा लिटरेसी रेट पूरे देशभर में बढ़ा, अपने-अपने प्रदेशों में बढ़ा। उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज पूरा देश साक्षरता के उस दौर में बहुत आगे पहुंचा है। ठीक है कि उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह हमको और काम करने की आवश्यकता है लेकिन अगर हम अभियान के रूप में कहें तो उसकी सार्थकता व सफलता रही है।

अगर मैं दूसरे अभियान के रूप में बात कहूं, आप देख रहे होंगे कि आज हम स्वच्छता का ज़िक्र कर रहे हैं। 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि है। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश, जब देश आज़ाद नहीं था तो उस वक्त भी जहां-जहां उनसे सम्भव हो पाया, उन्होंने अपनी बात और व्यवहार के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। लेकिन उसके साथ-साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जब पूरा देश एकजुट होकर निकला कि यह स्वच्छता सिर्फ मेरे लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए भी आवश्यक है, मेरे पड़ोस में रहने वालों के लिए आवश्यक है, समाज व देश के लिए आवश्यक है तो उस परिस्थिति में यह अभियान आगे बढ़ा। मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है, जहां हिमाचल प्रदेश की हम बात कहें तो यह स्वच्छता के क्षेत्र में सिक्किम के बाद दूसरा ओपन डैफिकेशन फ्री (ODF) प्रदेश घोषित हुआ है। उसके साथ बहुत सारी चीजों को हमने हिमाचल प्रदेश में बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन इस बात का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वच्छता अभियान की शुरूआत आज हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने की है। हालांकि यह चर्चा का विषय बना कि क्या आवश्यकता है कि प्रधान मंत्री हर बार इस बात को कहते रहें और प्रधान मंत्री झाड़ू उठाकर इस काम में लग जाएं। लेकिन अभियान के रूप में जब उन्होंने इस बात को लिया तो आज पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इसकी आवश्यकता समाज, परिवार, मुझे और सबके लिए हैं। आज इस अभियान के साथ जुड़ करके पूरे देश के प्रदेशों में होड़ लगी है कि हम 'ओपन डैफिकेशन फ्री' प्रदेश घोषित हों। हम स्वच्छता के

मामले में दूसरों से आगे निकले, मेरा शहर व मेरी पंचायत दूसरों से आगे निकले। इस अभियान में जुड़ कर जब हम काम करने लगे तो उसके अच्छे परिणाम भी निकले। उस अभियान को लोगों ने स्वीकार किया और आज पूरा देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका संदेश पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया में है कि भारत ने स्वच्छता अभियान को इस रूप में लिया है। मैं इन दो अभियानों का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हमारा अभियान ड्रग्ज़ के खिलाफ़ है। नशे के खिलाफ जो अभियान है, उसको भी इससे कम नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से इस अभियान को भी लेना पड़ेगा। आज ड्रग्ज़ के संदर्भ में इस बात को कहने की आवश्यकता है कि ड्रग्ज़ मेरे लिए, मेरे परिवार, मेरे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। ये समाज, देश व पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। इस रूप में इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है लेकिन उसके बावजूद हमने इस बात को महसूस किया कि पिछले कुछ अर्से से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस दृष्टि से जब मैंने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें की तो कुछ चौंकाने वाली चीजें उसमें सामने आई। हमारा हिमाचल प्रदेश छोटा-सा प्रदेश है और इस छोटे-से प्रदेश में भी लगभग 900 मामले ड्रग्ज से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ़ दर्ज़ हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर एक चौंकाने वाला आंकड़ा और निकला है। उनमें से 1/3 लोग वे हैं जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले नहीं है, जिनके ऊपर मामले दर्ज़ हैं। इसमें पंजाब के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिन लोगों के खिलाफ़ हिमाचल में मामले दर्ज़ है लेकिन वे पंजाब के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हरियाणा भी शामिल है और उस दृष्टि से मुझे लगा कि यह हिमाचल का ही विषय नहीं है। हमें मिलकर इस अभियान को लेना चाहिए। हमें मिल-बैठकर पड़ोसी राज्यों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हमने एक पहल की है। मैंने यह विषय हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्य मंत्री के अलावा उत्तराखण्ड व पंजाब के मुख्य मंत्रियों के समक्ष भी रखा और हम 4 लोगों ने मोटे तौर पर तय किया कि हमें पहले शुरुआत करनी चाहिए। हमने अधिकारियों के स्तर पर कुछ जगह पहले ज्वांइट ऑपरेशन्ज़ भी किए और उसके भी अच्छे परिणाम आये। लेकिन उसके साथ हमने आगे बढ़ करके इसको गम्भीरता से लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम चारों लोगों ने चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि इस बारे में और चर्चा करने के लिए हमें बैठना चाहिए। हमने पहले इसके लिए शिमला को चुना था लेकिन शिमला में बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में यहां आने-जाने की असुविधा हो सकती थी इसलिए यह स्थान चण्ड़ीगढ़ में तय हुआ। चण्ड़ीगढ़ में चारों प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की इस वार्ता की

शुरुआत हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री जी ने की जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। वहां पर लगभग 3 घण्टे की बहुत बेहतरीन बैठक हुई जिसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। उसमें इस विषय पर भी चर्चा हुई कि यह ड्रग्ज कहां से आती है और हमें इसको कैसे रोकना है? इसके साथ-साथ इस पर भी चर्चा की गई कि यदि हम एक प्रदेश में सख्ती करते हैं तो जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वे लोग दूसरे प्रदेश में शरण ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में इंटैलीजेंस की जो इन्फोरमेशन है उसको कैसे सांझा कर सकते हैं? इस प्रकार से तमाम विषयों पर चर्चा हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि इन सारे विषयों पर चर्चा करने के पश्चात् हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। हमने निर्णय लिया कि हम हरियाणा के पंचकूला में एक सचिवालय की स्थापना करेंगे। इसमें ये चार प्रदेश; हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व उत्तराखंड ही नहीं बल्कि आने वाले समय में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर को भी साथ जोड़ कर इकट्ठे हो करके नॉर्थ इंडिया के सभी राज्य मिल कर काम करेंगे। इसके लिए गुज़रात के मुख्य मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम भी इस विषय को ले करके सांझा होना चाहते हैं। हम सब इस विषय को ले करके चिंतित हैं और समाधान की दृष्टि से सभी को चिन्ता है कि हम आगे इसके लिए क्या रास्ता निकाल सकते हैं और हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है।

मित्रों, मुझे इस बारे में दो-तीन बातें कहनी हैं। हम ड्रग्ज़ के मसले को दो तरह से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अनुसार इसमें दो तरह के लोग इन्वॉल्वड हैं। एक वे हैं जो इसको एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं क्योंकि यह बहुत लाभप्रद है, जहां आप थोड़े-ही समय में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसमें कुछ लोग व्यावसायिक दृष्टि से भी जुड़े हैं, जो इसको आगे सप्लाई करने के लिए काम करते हैं और दूसरे वे हैं जो इसको कनज्यूम करते हैं। पहले तो इसका पता लगाना आवश्यक है कि यह नशा कहां से आ रहा है, कहां से आयात हो रहा है; इसको रोकने की आवश्यकता है। दूसरा, जो इस नशे को गलती से या जाने-अनजाने में कनज्यूम करते हैं और इसकी लत में उलझ कर रह गये हैं तो इन दोनों विषयों का क्या रास्ता निकल सकता है; इस पर सोच-विचार करने की आवश्यकता है। हमने इसके लिए हिमाचल प्रदेश में कानूनी तौर पर कुछ सोचा है। यहां पर इस बारे में माननीय अध्यक्षों और माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि कानून में इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। कानून में इसके लिए प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी यह प्रश्न पैदा होता है कि प्रावधान होने के बावजूद भी उस कानून का इम्पैक्ट क्यों नही है? इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इसके लिए कानून को और ज्यादा

कठोर करने की आवश्यकता है। दूसरा, इस नशे को कनज्यूम करने की एक क्वांटिटी होती है और इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। कानून में कन्जम्पशन और कॉमर्शियल क्वांटिटी दोनों के लिए सजा का प्रावधान अलग-अलग है। हम इसमें भी सख्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि जहां पर भी सीज़र हुआ है, ड्रग्ज़ को सीज़ किया गया है, वहां पर कॉमर्शियल क्वांटिटी से थोड़ी-सी क्वांटिटी कम करके रिकार्ड में शो किया गया है ताकि कानूनी तौर पर सज़ा का प्रावधान कम किया जा सके। यह भी चिन्ता का विषय है। हमारा पुलिस प्रशासन जो इस सारे ऑपरेशन में कार्रवाई करता है, उनकी भूमिका भी सचमुच में चिन्ता का विषय है। इसलिए जिसके पास भी ड्रग मिलती है, चाहे वह क्वांटिटी में कम या ज्यादा हो, उसमें बेल के प्रावधान को रोकने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश में ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि यह सैंट्रल एक्ट के तहत ही होगा लेकिन इसके बावजूद सभी प्रदेशों में यह सहमति भी बन रही है कि हम अपनी ओर से इसमें पहल करें। इस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि अवेयरनैस की दृष्टि से एक कैंपेन/अभियान चलाया जाना चाहिए। विशेष तौर पर इसमें हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे शिक्षण संस्थानों में हैं, चाहे वे प्रोफैशनल एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन्ज़ हैं, चाहे वे अकैडमिक इंस्टीच्यूशन्ज़ हैं; वे टारगेट हो रही हैं और उनमें यह नशा बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में, अगर हमने समय रहते इन सारे विषयों पर सख्ती से कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं किया तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी तबाह होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। यह सचमुच चिन्ता का विषय है। हमने हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ़ एक कैंपेन चलाने का विचार किया है और हमने बैठक करके निर्णय लिया है कि कुछेक इंस्टिच्यूशन्ज़ खास तौर पर जो बोर्डर एरियाज़ के पास हैं क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है और वहां के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में हम भी जाएंगे। इसके साथ ही हमने इस विषय पर माननीय न्यायालय और राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया है। हमें इस बात की खुशी है कि जब हमने इस विषय को विपक्ष के सामने रखा तो उन्होंने भी इस विषय पर हमें सहयोग देने की बात की है। यह समस्या किसी पार्टी या दल के विचारधाराओं की परीधी में नहीं है, यह सब की समस्या है और इसके लिए हम सबको साथ मिल कर लड़ाई लड़नी चाहिए। इस विषय पर सब लोगों की सहमती बनी है। इस बारे में हम आने वाले अक्तूबर माह के बीच में अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरा मुझे एक और बात सांझा करनी है कि हमारे समाज में एक धारणा इस दृष्टि से है कि जब नशे के कारण किसी नौजवान बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो हम शोक प्रकट करने के लिए वहां जाते हैं। वहां

गांव में पहुंच करके परिवार के साथ बैठते हैं, हम पूछते हैं की मृत्यु का कारण क्या है तो बता दिया जाता है कि हार्ट अटेक हो गया। असली बात का जिक्र ही नहीं किया जाता क्योंकि परिवार वाले यह चाहते हैं कि लोगों को यह पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे बच्चे की मौत नशे के कारण हुई है। इस प्रकार वे सामाजिक स्टिगमे के कारण घुमा-फिराकर अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमने सोचा है कि जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, वहां एक चैकअप के लिए हमारा प्रावधान रहता है। उसमें हम एक चीज जोड़ने का प्रयास करेंगे कि रूटीन का चैकअप होगा और उस रूटीन चैकअप में भी जब डाक्टर के सामने बच्चा आता है तो उस वक्त सिम्पटम्स पता लगा सकता है। डाक्टर अपने तरीके से उसे महसूस कर सकता है कि बच्चा कहीं-न-कहीं ड्रग्स का शिकार है। उसकी स्किन, आंखों, चेहरे और उसकी आदतों से आसानी से पता लग जाता है। इस बारे में हम हिमाचल प्रदेश में एक अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बच्चे में इस तरह के सिम्पटम्स पाए जाएंगे उन्हें अलग से सेग्रेगेट करके उनके माता-पिता से बात-चीत करेंगे। इस बारे में बच्चा किसी दहशत में भी नहीं जाना चाहिए, फिर भी हमें समस्या के समाधान के लिए कार्य करना है और यह बहुत आवश्यक लगता है। इस तरह से कुछ चीजें हमने आने वाले विषय में प्लान की हैं। ऐसी बहुत सारी बातें सोची हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, वे आने वाले अभियान का हिस्सा होगीं। लेकिन में सचमुच महसूस करता हूं कि इस विषय पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हम सब लोग इकट्ठा हो करके नशे के खिलाफ जहां भी, जिस रूप में लड़ाई लड़ने की बात हो, उसे कह सकते हैं और वह बात करनी भी चाहिए।

आज के इस सम्मेलन में मैं आप सब का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर उपस्थित हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि शिमला में आ करके आप लोग आराम से होंगे । परंतु यदि कहीं भी, कोई भी असुविधा होगी उसके लिए क्षमा भी चाहेंगे। यदि कोई भी विषय इस तरह से आता है तो उस विषय को हमारे समक्ष रखें। आज के इस टेक्नोलोजी के दौर में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा बहुत छोटा सा प्रदेश है परंतु छोटा सा होने के बावजूद भी हमने एक छोटी सी पहल की है। उस पहल में हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य ई-विधान की दृष्टि से बना है। आप सब ने इस बारे में हमें बधाई दी है, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। विज्ञान के युग में हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको आत्मसात होना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया जिस दौर से आगे भाग रही है हम उस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद यहां दो विधान सभाएं हैं। मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी से व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया है और हमारे

माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस सारे विषय को ले करके पहले ही प्रस्ताव रखा है और दिल्ली में भी मिल करके आए हैं। हमारे पास एक दूसरी विधान सभा है जिसमें हमारा शीतकालीन सत्र चलता है, वह धर्मशाला में है । पूरे विधान सभा के परिसर को अगर आप देखेंगे तो पूरी देश में ऐसा किसी भी विधान सभा का प्रांगण नहीं होगा जितना सुन्दर वह प्रांगण है। यदि वहां जाएं वहां रहने का मन करता है, वहां रुकने का मन करता है। इस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ओर से नेवा के अन्तर्गत अकैडमी का जो प्रस्ताव आपके सामक्ष रखा गया है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश भर में उससे बेहतरीन जगह कहीं भी नहीं हो सकती है। वहां पर एक तरफ से हिमालय है, धौलाधार का पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है और उसके आंचल में विधान सभा है। वहां पर विधान सभा के कमरों से अगर शीशे के पर्दे हटा करके देखें तो आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देंगे और उसके आंचल में बैठ करके आप उस विधान सभा के अन्दर काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन और सुन्दर जगह है। अगर धर्मशाला में नेवा के अन्तर्गत अकैडमी खोलने के लिए व्यवस्था हो सके तो मैं बहुत अनुगृहीत महसूस करूंगा। इस दृष्टि से मैं उम्मीद करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदया, लोक सभा पहले ही हमें सहयोग देने के लिए कह रही हैं और हमें जो करने की आवश्यकता है वह हम करेंगे। हम आप लोगों को यह बताने के लिए फिर से आमंत्रित करेंगे कि इस सारी तकनीक का विधान सभा के अन्दर कैसे इस्तेमाल हो सकता है। आज के इस सम्मेलन में एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप यहां शिमला आए, विशेष तौर से अध्यक्ष महोदया, लोक सभा का बहुत अभिन्दन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब भी कभी इस प्रकार के अवसर आप हमें देंगे तो हम बहुत अनुगृहीत महसूस करगें और यह हमारा सौभाग्य होगा। हम विधान सभा अध्यक्ष, माननीय डॉ0 राजीव बिन्दल जी का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सारे कार्यक्रम का आयोजन बहुत बेहतरीन ढंग से किया। इनकी कार्यों को ऑर्गेनाईज़ करने में बहुत दक्षता है। हमें जो काम लगता है कि ठीक प्रकार से संचालित होना चाहिए तो हम उस काम को इनके जिम्मे छोड़ते हैं। आपने यह सराहनीय प्रयास किया है और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में इन्होंने अपनी उपस्थिति दे करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दृष्टि से अपना बहुमूल्य समय और सहयोग दिया है। मैं यहां पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण जितनी भी विधान सभाओं के आए हैं, उनका

भी धन्यवाद करता हूं। इतनी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से अपनी बात कही और मैं बहुत ही विनम्र आग्रह के साथ श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, अध्यक्ष महोदया लोक सभा से आग्रह करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय अध्यक्ष महोदया, लोक सभाः नमस्कार, चिंता मत करो, कोई उद्बोधन नहीं, केवल एक-दो क्लैरिटी करवाऊंगी कि एक विषय "वन नेशन वन इलैक्शन" पर चर्चा थोड़ी हुई लेकिन बहुत अच्छी हुई है। मैं कहूंगी कि इसके प्रोमीनैंट वे दें। हम जब फिर कभी मिलेंगे, सी0पी0ए0 की बड़ी मीटिंग में मिलेंगे तो उसके लिए हम इसको नोट डाउन करें। दूसरा, ड्रग के ऊपर आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है कि इसके जो दुरुपयोग और प्रभाव होते हैं, उनको कैसे दूर करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी को धन्यवाद दूंगी कि यही बातें मन में थी कि आस-पास के प्रदेशों की मिल करके कार्रवाई कैसे हो सकती है। हम भी कई बार यह अनुभव करते हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर हो गया है। वहां पर हवाई जहाज़ से आने-जाने वाली अच्छी सुन्दरियां होती हैं, नौज़वान लड़के होते हैं और वे बार-बार आते-जाते रहते हैं तथा बाद में उसमें से बात निकल कर सामने आई कि ड्रग ट्रेफिकिंग उनमें से भी चलती है। हम तो मानते हैं कि एयर सर्विस करने वाला बड़ा व्यक्ति होता है। मगर यह भी समस्या आई है। जैसा आपने कहा कि अपराध कहीं करो और रहो कहीं और जा करके दूसरे अलग प्रदेश में। इस बारे में आप सोच ही रहे हैं, चारों मुख्यमंत्री साथ बैठे थे। Interstate cooperation किस प्रकार से हो, not necessary all over India कि सारी स्टेट्स को एकत्रित करके जहां ऐसी समस्या है, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं और एक इन्टरस्टेट कोऑपरेशन किस तरीके से किस मुद्दे पर हो सकता है? अब आपने सोचना शुरू ही किया है तो मैं कहूंगी कि इस पर भी कभी सोचें। जब हम आगे कभी बैठेंगे तो हम यह बात आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात एक इन्टरस्टेट कमेटी बनाने की है। आपने जो उल्लेख किया कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात या जब पुलिस की बात आती है या पुलिस के एक-दूसरे से सहयोग की बात आती है या एन.जी.ओज़. की

एक-दूसरे के साथ सहयोग की बात आती है तो whether it can be क्योंकि आप बैठे हैं, इसलिए मैं आपको ही यह सौंप देती हूं कि government-to-government interstate cooperation और इन्टरस्टेट ऐसी कोई कमेटी भी बन सकती है जिसमें पुलिस का और ऐडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट भी हो। जहां जैसी आवश्यकता हो, जैसे हम एन.जी.ओज. का समर्थन कैसे ले सकते हैं, how it can work? ऐसा अगर इस पर बारीकी से अध्ययन हो जाए तो इसमें भी आगे जा सकते हैं या इस पर सोच सकते हैं। यह बात सही है कि ड्रग्ज बहुत गलत चीज है लेकिन इसमें सभी साथ में हैं कि हां, इसकी रोकथाम के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। इसलिए इस पर कोई प्रस्ताव भी बने और हम सब मिलकर इसको पारित भी करें। मगर अभी एकदम यह नहीं हो सकता है, इस पर और सोचना पड़ेगा। आप बाकी अध्यक्षों से भी बात करिए। मैं राजीव जी को कहूंगी और इस पर एक प्रस्ताव बन सकता है।

यहां बहुत अच्छी बाकी बातें भी हुई हैं। ई-विधान की यहां बात हुई। यहां जो आप बता रहे हैं कि कौन कितने मिनट बोल रहा है। मुझे कई बार लोक सभा में यह बोला जाता है कि 'अभी तो मैंने शुरुआत की और आप हमें अभी टोक रही हो।' मेरे लिए यह एक अच्छी बात है कि यह अलग से दिखते रहना चाहिए कि कितने मिनट कौन बोला, यह तुरन्त मालूम पड़ता है। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन सदस्यों को लगता है कि अभी तो शुरू किया था और आप तुरन्त टोक रही हो। इसके अतिरिक्त एक और मुद्दा आता है। लेकिन अभी वह यहां समझ नहीं आयेगा क्योंकि अभी यहां 'व्यवधान' नहीं है। आप यह कैसे करते हो? क्योंकि मुझे यह भी सुनना पड़ता है कि मैं बोला तो कम 'व्यवधान' ही ज्यादा हो रहा है। मैं क्या करूं? इसलिए मैंने समय ज्यादा लिया, ज्यादा समय तो व्यवधान में गया। तो क्या उस बारे में आपके यहां कम्प्यूटर की स्क्रीन पर कुछ आता है? मैं अपने महासचिव, लोक सभा से कहूंगी कि कृपया यह सब भी देखें कि यह कैसे होता है और हम सोच ही रहे थे कि सदन में यह प्रदर्शन होना चाहिए कि आपको पांच मिनट का समय दिया था और पांच मिनट का समय पूरा हो गया। हमें बार-बार टोकना भी नहीं पड़े और कुछ सामने आता जाएगा तो यह एक अच्छी बात है। मैं ई-विधान की बिल्कुल सराहना करती हूं कि इस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। इसके अतिरिक्त आप जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वास्तव में इस पर सोचेंगे कि यह होना ही चाहिए क्योंकि सतत् सांसद हों या विधान सभा के सदस्य हों, लेकिन वे बदलते रहते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे, ये 5-5 बार चुने हुए प्रतिनिधि मेरे दोनों तरफ बैठे हैं जो 5-6 बार चुने जाते हैं। मगर so many time it happens, जैसे अभी लोक सभा में हुआ है कि दो-तिहाई लोग फर्स्ट

टाईमर हैं तो उन्हें तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है ही। फिर हम इसमें से युवाओं को भी प्रशिक्षण दे सकते हैं और भी लोगों को दे सकते हैं। तो एक प्रशिक्षण संस्थान की वास्तव में आवश्यकता है और इस पर बिल्कुल गंभीरता के साथ हम सोचेंगे। मैं भी ऊपर बात करूंगी कि किस तरीके से यह हो सकता है। आपने जगह ऑफर की है तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप इस पर काम भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम इस बारे में सोचेंगे और कहीं-न-कहीं ऐसे संस्थान की स्थापना होनी चाहिए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत देर से हम सब लोग अच्छे बच्चे जैसे बैठे हैं। मगर अब बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए और मुझे लगता है कि अब इस सत्र का समापन होना चाहिए।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा आपने आदेश दिया है कि अब सत्र का समापन होना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन दें ताकि इसका समापन हो सके।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष, हि0 प्र0 विधान सभा : आदरणीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, लोक सभा की माननीय अध्यक्ष, राष्ट्र-मण्डल संसदीय संघ के पीठासीन अधिकारियों की इस कार्यशाला में खासतौर से पहुंचे माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी, कार्यशाला को आयोजित करवाने वाले हमारे अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल जी, जम्मू-कश्मीर के माननीय विधान सभा अध्यक्ष डॉ0 निर्मल के0 सिंह जी, गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री राजेन्द्र सूर्यप्रसाद त्रिवेदी जी, हरियाणा के माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री कंवर पॉल जी और अन्य सदस्यगण एवं अधिकारीगण जोकि आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। आज श्रीमती सुमित्रा महाजन जी के समक्ष बहुत ही सार्थक चर्चाएं हुई हैं और खासतौर पर ई-विधान जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश को एक दिशा दी है उसको आपको देखने का मौका मिला और किस ढंग से हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ सालों से इस पर कार्य कर रहा है उस पर हमारे लोक सभा के अधिकारीगण और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगणों ने भी हिमाचल प्रदेश का इस फील्ड में लोहा माना है कि छोटा प्रदेश है और बहुत सुन्दर है लेकिन हमने इसमें रास्ता दिखाया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ई-विधान एप्लिकेशन में राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी काम हुआ है जोकि आज आपने यहां प्रदर्शित किया है और उससे लगता है कि पूरे देश में यह बहुत ही जल्दी लागू हो जाएगा।

जहां तक आज के विषयों का सवाल था तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी बात रखी और विभिन्न प्रदेशों से आए माननीय अध्यक्षों ने तो बात रखी ही है। खासतौर से सुमित्रा महाजन जी का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे सभागार में बैठे हैं जिसमें मैं नेता प्रतिपक्ष हूं। यहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने बात रखी है और मैं भी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी की आज्ञा मिलने के बाद ही अपनी बात यहां पर रखना चाहूंगा क्योंकि आज स्थिति ऐसी हुई है कि लगभग भाजपा शासित राज्य के प्रतिनिधि ही यहां पर आए हुए हैं। हमारे पंजाब की टीम भी नहीं आई है। मैंने सुबह ही वहां के माननीय अध्यक्ष से बात की थी -(व्यवधान)- हां, यहां एक सदस्य है। जब आप बोले थे तो मुख्य मंत्री जी को अहसास हो गया था। वहां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं आए हैं। जिस सभागार में आप बैठे हैं उसके बारे में हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि यह कितना महान सदन है। आजादी का जो रेजोल्यूशन था कि हम आजाद होंगे,उसका प्रस्ताव यहां इस सदन में रखा गया था कि हमें आजाद होना है। यह एक बहुत ही महान असैम्बली है जिसमें कुछ माननीय सदस्यों को बैठने का मौका मिला और कुछ ऐसे सदस्यों को भी बैठने का मौका मिला जो कभी विधायक नहीं बनेंगे यानी वे भी विधायक की फीलिंग ले सकते हैं कि वे ऐसे सभागार में बैठे हैं। श्री बिट्ठल भाई पटेल जी, जोकि यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने और उन्होंने यहां पर अध्यक्षता की, ऐसी कुर्सी पर इस समय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी विराजमान हैं। क्योंकि यह पीठासीन सदस्यों का सम्मेलन है, तो उन्होंने बैठते ही सबसे पहले बात कही कि " I cease to be a Party man. I belong to no Party. I belong to all Parties". यह संदेश वे यहां से देकर गए थे। मुझे लगता है कि इसकी अनुपालना आप सब लोग अपनी असैम्बलीज़ में भी करेंगे और खासतौर से हमारे माननीय अध्यक्ष। उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने की, उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद यह कहा कि मैं अब पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं एक बार अध्यक्ष बन गया हूं। उसके बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनको सर्वसम्मत्ति से सदस्य बनाया गया। ऐसी भावना का व्यक्ति यहां से शुरुआत करके गया है। आज जो यहां पर सचिवालय की बात हो रही थी, लोक सभा, राज्य सभा और विधान सभाओं को जो स्वतंत्र सचिवालय मिले हैं उसका प्रस्ताव इस असैम्बली में पास हुआ कि ऑटोनमी विधान सभाओं को मिले, लोक सभा को मिले, उसका प्रस्ताव यहां पर पास हुआ। अब कितनी ऑटोनमी है, सरकारें देती हैं, कितना देती है या नहीं देती, वह अलग बात है। लेकिन लोक सभा और विधान सभाओं को ऑटोनमी का प्रस्ताव इस सभागार में पास हुआ आज जहां पर आप विराजमान हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और यहां पर वन नेशन वन इलैक्शन की बात आई है, कुछ माननीय सदस्यों ने

यहां पर अपने भाव भी प्रकट किए हैं। मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि यह जल्दी होना चाहिए। वैसे तो करंट कान्स्टिच्यूशनल प्रोविज़न के तहत यह नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी असैम्बली का समय आप न तो कम कर सकते हैं और न ही किसी भी असैम्बली का आप समय बढ़ा सकते हैं। It is against the structure of India federalism. हमारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने कहा कि यह चर्चा की बात है और चर्चा तक की सीमित है। मेरे माननीय मुख्य मंत्री जी भी अन्यथा न लें क्योंकि इन्होंने कहा कि देश की आवश्यकता है, जल्दी होना चाहिए तो वर्ष 2019 का जो इलैक्शन है, उस समय इनकी टर्म केवल सवा साल की होगी तो क्या ये पौने चार साल की टर्म छोड़ने को तैयार हैं? अभी तो यह नहीं हो सकता। आपका बचाव माननीय अध्यक्ष, लोक सभा कर रही हैं। यह कान्स्टिच्युशन प्रोविजन्ज के मुताबिक भी नहीं हो सकता। किसी भी असैम्बली का आप टर्म घटा भी नहीं सकते और बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि कान्स्टिच्युशन में यह प्रोविजन्ज भी नहीं हैं। विधान सभा में चर्चा हो रही है तो हम भी अपनी बात यहां पर रख रहे हैं क्योंकि 30-31 राज्य हैं जैसे कि हमारे जम्मू-कश्मीर से आए सदस्य ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि असैम्बली भंग हो गई। असैम्बली भंग होने के बाद क्या चार साल आपातकाल लगाए रखेंगे कि जब इकट्ठा चुनाव होगा तब चुनाव करवाया जाएगा? इसमें प्रैक्टिकल मुश्किलें हैं। यह प्रस्ताव इस वक्त असंवैधानिक भी है और अव्यावहारिक भी है। बाकी आगे चल कर क्या होता है इसमें चर्चाएं चली हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी मैं यहां पर साथ ही रख देता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने और कई माननीय सदस्यों ने ड्रग्ज के बारे में बात की। इस पर निश्चित तौर पर हमें गम्भीर होने की जरूरत है। हमने इनसे कहा है कि ड्रग्ज के खिलाफ जो जन आंदोलन बनाने की लड़ाई है, उसमें हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। हम इनसे कहते हैं कि जल्दी से हिमाचल प्रदेश विधान सभा में कानून ले करके आएं। आप कानून लाएं और जितने भी ड्रग्ज के तस्कर हैं उनको फांसी की सजा का प्रावधान करें क्योंकि जिस पैमाने पर यह फैला है, आप ड्रग्ज तस्करों के खिलाफ फांसी का प्रोविज़न करें, उनकी सम्पत्ति जब्त करने का प्रोविज़न करे और जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 5 ग्राम से कम जो कन्ज्यूम करते हैं और कम मात्रा में खासतौर से जो श्री राकेश पठानियां जी ने यहां पर बात की कि अब कोई सिंथैटिक कैमिकल ड्रग आ गई है, जिसे चिट्टा कहते हैं, पांच ग्राम से कम में ज़मानत हो जाती है। ज़मानत का प्रावधान जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, सम्पत्ति जब्त नहीं करेंगे, फांसी का प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसा कानून असैम्बली से पास करके जल्दी से केन्द्र को भेजें और केन्द्र पर

दबाव बनाएं ताकि इसका कोई हल निकल सकें। हिमाचल प्रदेश एक छोटा-सा पहाड़ी प्रदेश है जिसे देवभूमि कहा जाता है। मैंने कल ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात की, इसमें 1100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पड़ोसी राज्यों में यह बीमारी पहले ही थी लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह इतने बड़े पैमाने पर फैलेगा, किसी ने सोचा नहीं था। इस पर जितना भी आप प्रयास करेंगे, हम ऐज़ ए पार्टी, ऐज़ ऐन ऑपोजिशन आपको हर सम्भव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जहां तक National e-Vidhan Academy की बात है, इसका हम भी समर्थन करते हैं और इसमें पहले भी प्रयास हुए हैं। आज लोक सभा की सम्माननीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा दावा सबसे ऊपर है और हमें कहीं-न-कहीं इसमें न्याय मिलेगा। हमारी धर्मशाला की असैम्बली भी सार्थक हो जायेगी क्योंकि वह साल में चार-पांच दिन चलती है, अगर उसको आप ट्रेनिंग के लिए नेशनल अकैडमी घोषित करेंगे तो यह हिमाचल के लिए बहुत गौरव की बात होगी।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय अध्यक्ष महोदया, लोक सभा : अभी तक किसी का दावा आया ही नहीं, आपका पहला दावा है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष, हि0प्र0 विधान सभाः हमारा, मुख्य मंत्री जी और विपक्ष ने इकट्ठे दावा पेश कर दिया। स्पीकर साहब, पहले से इस पर लगे हैं। इसके ऊपर आप ज़रूर गौर करें कि हमें यहां पर नेशनल अकैडमी मिले। ई-विधान को जब हम यहां सक्सैसफुली इम्प्लीमैंट करते हैं तो मैं इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने ई-विधान का इनिशियेटिव लिया। जब वे यहां इस पर बात करते थे तो लोग कहते थे कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अंततः प्रयास सफल हुआ। उसको हमारे अध्यक्ष, डॉ राजीव बिन्दल जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने e-Constituency के कंसैप्ट को काफी तेज़ी से आगे बढ़ाया है। तो मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूं और मैं खास तौर पर लोक सभा की अध्यक्ष महोदया का आभारी हूं कि वे हमारे बीच में दिल्ली से चल कर आईं। उन्होंने अपने विचार हमें दिये। हम आपके बहुमूल्य सुझावों को लैटर एंड स्पिरिट में हिमाचल प्रदेश में लागू करने का प्रयास करेंगे। खासतौर पर जो हमारे माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा और अन्य सदस्य आए हैं मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां आने के लिए समय निकाला। उम्मीद जताता हूं कि आपकी यहां पर स्टे कम्फ़र्टेबल रहेगी और अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं बात माननीय मुख्य मंत्री जी पर छोड़ दूंगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय अध्यक्ष, हि0 प्र0 विधान सभाः धन्यवाद मुकेश जी। आज का यह सत्र दो सूचनाओं के साथ हम समाप्त करेंगे और कल फिर पुनः 10:00 बजे पूर्वाह्न सत्र के लिए इकट्ठे होंगे। आज के सत्र की समाप्ति से पूर्व जितने इस सदन में मौजूद सभी सदस्यगण हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है कि स्पीकर गेट पर फोटो सैशन होगा, आप उधर पधारें। इसके बाद आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

*****